भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 678

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए विशेष पैकेज

678. डा. फौजिया खान:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मराठवाड़ा में कृषि संकट के समाधान के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में विशेष पैकेज के अंतर्गत शुरू की गई सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना का दायरा, निधि आवंटन और प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) मराठवाड़ा में सूखे की चिरकालिक स्थिति से निपटने के लिए पूर्व में किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है और इन उपायों की वित्तीय और वास्तविक प्रगति कितनी है;

(ग) क्या सरकार को मराठवाड़ा जिलों में किसानों द्वारा आत्महत्या करने की घटनाओं की बढ़ती संख्या की जानकारी है;

(घ) इस संकट से निपटने के लिए जल संभर प्रबंधन, वर्षा जल संचयन और सूखे से निपटने संबंधी अन्य पहलों संबंधी कार्यनीतियों के कार्यान्वयन सहित क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार मराठवाड़ा में सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी कोई परियोजना विकसित कर रही है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): भारत सरकार द्वारा जुलाई 2018 में विदर्भ और मराठवाड़ा तथा महाराष्ट्र के अन्य दीर्घकालिक सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कृषि समस्या के समाधान के लिए सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक विशेष पैकेज योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत मराठवाड़ा क्षेत्र की 17 सतही लघु सिंचाई परियोजनाओं को शामिल किया गया है। 9 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और शेष 8 परियोजनाएं चल रही हैं। दिसंबर 2024 तक, इन लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 6,183 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित की गई है।

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के विशेष पैकेज योजना के अंतर्गत ली गई परियोजनाओं की लक्षित सिंचाई क्षमता के संदर्भ में, व्यय के संदर्भ में निधियों का आवंटन और जारी केंद्रीय सहायता और निर्मित सिंचाई क्षमता के संदर्भ में हुई प्रगति के विवरणों को अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) से (घ): जल राज्य का विषय है, इसलिए जल संसाधन संबंधी परियोजनाओं को तैयार करना, उनका वित्तपोषण, कार्यान्वयन और रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों और प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार, जल संसाधनों के सतत विकास और कुशल प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को चल रही अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठवाड़ा क्षेत्र में किसानों की आत्म हत्याओं की घटनाओं की जानकारी दी गई है। मराठवाड़ा क्षेत्र में दीर्घकालिक सूखे की स्थिति से निपटने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

1. महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, मराठवाड़ा क्षेत्र में 19.50 लाख हेक्टेयर की चरम सिंचाई क्षमता है, जिसमें से 1,270 पूरी की गई और चल रही परियोजनाओं के माध्यम से 16.80 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।
2. बिंदु (क) में उल्लिखित विशेष पैकेज के अलावा, भारत सरकार ने मराठवाड़ा क्षेत्र को लाभान्वित करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी एंड डब्ल्यूए) घटक के अंतर्गत चार वृहद और मध्यम परियोजनाओं अर्थात लोअर दुधना परियोजना, नादुर माध्यमेश्वर चरण-II परियोजना, अपर कुंडालिका परियोजना और अपर पेंगंगा परियोजना को भी शामिल किया है। दिसंबर 2024 तक, इन परियोजनाओं के माध्यम से 1.09 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है और 52.15 हजार हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र विकसित किया गया है। इन परियोजनाओं को 1,222.69 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है।
3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक के अंतर्गत 30 क्लस्टरों में 3,285 कार्यों को 183 करोड़ रुपए की राशि से किए गए हैं, जिसमें मृदा और जल संरक्षण उपायों के प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन घटक शामिल करते हुए मराठवाड़ा क्षेत्र को लाभ पहुंचाया जाता है।

4. महाराष्ट्र सरकार ने मराठवाड़ा में 916 गांवों को जलयुक्त शिविर अभियान 2.0 के तहत जलग्रहण क्षेत्र और नालियों की लाइनों के शोधन के लिए चिह्नित किया है।
5. इस मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र में विभिन्न कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं को शुरू किया है। इस प्रयास में, वर्ष 2018-20 के दौरान महत्वकांक्षी जिला, उस्मानाबाद में जलभृत पुनर्भरण किया गया है।
6. केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना के तहत जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। देश के पूरे मानचित्रण योग्य क्षेत्रफल में मराठवाड़ा क्षेत्र को भी शामिल करते हुए जलभृत मानचित्रण पूरा कर लिया गया है। भूजल प्रबंधन योजनाएं तैयार की गई हैं और इन योजनाओं को उचित उपायों/कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा किया गया है।
7. भारत के जल की कमी सूखा संभावित क्षेत्रों में सिंचाई विकास संबंधी मामलों के समाधान के लिए, पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत परियोजनाओं के चयन संबंधी मानदंडों और केंद्रीय वित्त पोषण अनुपात में विशेष प्रावधान किए गए हैं। यदि किसी परियोजना के सूखा संभावित क्षेत्र में कमान 50% से अधिक है, तो 50% अग्रिम चरण मानदंड में छूट दी गई है और परियोजना को, सूखा संभावित क्षेत्र में आने वाले कमान क्षेत्र के बढ़े हुए अनुपात 60 (केंद्र): 40 (राज्य) में वित्त पोषण के साथ निर्माण की शुरुआत से शामिल किया जा सकता है।
8. महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को मदद देने वाली कई योजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वित विभिन्न उपायों जैसे कि पीएम-किसान, दिवंगत वसंतराव नाइक शेतिस्वावलंबन मिशन, कृषि समृद्धि योजना, महात्मा ज्योतिराव फूले किसान ऋण मुक्त योजना, विस्तृत फसल बीमा योजना, नमो किसान महासम्मान निधि योजना आदि के बारे में सूचित किया है।

(ङ) इस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी ने मराठवाड़ा क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली तीन अंतर-राज्यीय परस्पर नदी संयोजन परियोजनाओं नामत: वैनगंगा–मंजरा घाटी लिंक परियोजना, नार–पार–गिरणा घाटी लिंक परियोजना और ऊपरी कृष्णा – भीमा लिंक की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है। हालांकि, पहले दो अंतर-राज्यीय परस्पर नदी संयोजन परियोजनाओं को तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

*****

अनुलग्नक

"विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए विशेष पैकेज" के संबंध में दिनांक 10.02.2025 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 678 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में विशेष पैकेज योजना के तहत परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजाना का नाम	लक्षित सिंचाई क्षमता (हे.में)	सृजित सिंचाई क्षमता (हे.में)	अनुमानित लागत (करोड़ रू.)	किया गया व्यय (करोड़ रू.)	जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रू.)	लाभान्वित जिले
1.	टिटवी	255	0	13.80	6.26	3.13	औरंगाबाद
2.	बनोटी*	265	265	32.66	35.32	6.66	
3.	देवगांव रंगारी	1012	458	124.78	132.17	17.99	
4.	वानगांव पोहारी*	473	473	61.06	50.81	12.30	
5.	सावलदबारा एस.टी.*	302	302	21.96	7.47	1.83	
6.	पलासाखेड़ा	930	360	53.29	463.62	4.32	जालान
7.	बारबाडा	1225	0	240.95	26.40	0.00	
8.	हटवान	1695	0	379.14	16.66	0.00	
9.	पाटोदा	1095	0	112.27	47.59	2.41	
10.	सोनखेड़ा एस.टी.	445	0	56.80	50.42	10.53	
11.	खोराडसावंगी एम.आई.	254	154	21.04	12.28	0.17	
12.	डारेसरसम एस.टी.*	258	258	17.12	10.07	8.44	नांदेण
13.	मनीरामखेड एल.एम.आई.पी.*	1200	1200	96.11	46.47	2.38	
14.	बोरासुरी एस.टी. टैंक*	310	310	46.90	59.26	10.88	लातूर
15.	वैरागढ़ एस.टी. टैंक*	848	848	45.33	40.67	9.45	
16.	चोंडी एस.टी. टैंक*	765	765	24.56	11.19	2.80	
17.	सात्रा पोत्रा एस.टी.*	790	790	36.78	36.04	5.72	बीड

* पूरी की गई परियोजनाएं

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 740

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी में अनुपचारित, प्रदूषित जल का बहाया जाना

740. श्री संदीप कुमार पाठक:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रयागराज में नालों के माध्यम से प्रदूषित और अनुपचारित जल सीधे गंगा और यमुना नदी में बहाया जा रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) महाकुंभ के दौरान शहर और गांवों का प्रदूषित जल गंगा और यमुना नदी में न बहाया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर क्या कदम उठाये हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): जी, नहीं। प्रयागराज में नालों के माध्यम से प्रदूषित और अनुपचारित जल को गंगा या यमुना नदी में नहीं छोड़ा जाता है ।

(ख): राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए हैं:

1. नमामि गंगे मिशन -2 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान, गंगा या यमुना नदी में अप्रयुक्त नालों के बहाव को रोकने के लिए आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान की तथा अप्रयुक्त नालों के सुधार के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी;

2. नमामि गंगे मिशन -2 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए 48,100 शौचालय और मूत्रालय तथा 20,000 ठोस अपशिष्ट के बिन के साथ लाइनर बैग उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता और स्वच्छता अवसंरचना हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दी गई;

3. सीवेज उपचार संयंत्रों और स्वच्छता अवसंरचना के निरंतर और निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने और लागू प्रवाह मानकों का अनुपालन करने के लिए संबंधित हितधारकों को एक 'एडवाइज़री' जारी की गई।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 738

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

हरियाणा में भूजल स्तर में कमी

738. श्रीमती किरण चौधरी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार हरियाणा में भूजल स्तर में हो रही कमी से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मुद्दे को हल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा भूजल संसाधनों के समुचित पुनर्भरण को सुनिश्चित करने के लिए क्या तकनीकी हस्तक्षेप किए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा अपने मॉनिटरिंग स्टेशनों के नेटवर्क के माध्यम से वर्ष में चार बार हरियाणा सहित देश भर में भूजल स्तर की मॉनिटरिंग किया जाता है। हरियाणा में भूजल स्तर के दीर्घकालिक रुझानों के अध्ययन के लिए, नवंबर 2024 के दौरान सीजीडब्ल्यूबी द्वारा एकत्र किए गए जल स्तर के आंकड़ों की तुलना दस वर्षों (2014-2023) के लिए नवंबर महीनों के दशकीय औसत से की गई है। जल स्तर के इन आंकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि मॉनिटरिंग किए गए लगभग 46.7% कुओं के भूजल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है।

(ख): जल राज्य का विषय है। भूजल से संबंधित मुद्दों के समाधान का दायित्व मुख्यत संबंधित राज्य सरकारों का है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कर राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थन प्रदान किया जाता है। इस दिशा में, देश में भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं: –

i. सरकार द्वारा वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है जो वर्षा संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए एक मिशन मोड और समयबद्ध कार्यक्रम है। वर्तमान में, देश में जेएसए 2024 का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के 10 जिलों सहित देश के 151 जल की कमी वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जेएसए एक व्यापक अभियान है जिसके तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण में विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। जेएसए के तहत प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले 4 वर्षों में हरियाणा में लगभग 1.49 लाख जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया है।

ii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा जलभृत्त अवस्थिति और उनके विशिष्टीकरण की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जलभृत्त मैपिंग और प्रबंधन कार्यक्रम (नैक्यूम) आरंभ किया गया है। हरियाणा के 44,179 वर्ग किमी क्षेत्र सहित देश के कुल मैपिंग योग्य लगभग 25 लाख वर्ग किमी के क्षेत्र को इस योजना के तहत

शामिल किया गया है और प्रबंधन योजनाओं को कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य/जिला प्रशासन के साथ साझा किया गया है।

iii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा हरियाणा सहित पूरे देश के लिए भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्टर प्लान- 2020 तैयार किया गया है और इसे राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है, जिसमें 185 बीसीएम (बिलियन क्यूबिक मीटर) जल के संरक्षण के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार की गई है। इस मास्टरप्लान में हरियाणा के लिए लगभग 7.42 लाख संरचनाओं के निर्माण की सिफारिश की गई है।

iv. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, यह योजना 7 राज्यों में जल की कमी वाले 80 जिलों में भूजल के मांग पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भागीदारी भूजल प्रबंधन हेतु एक समुदाय आधारित योजना है। इन राज्यों में हरियाणा भी शामिल है।

v. कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एवं एफडब्ल्यू), भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से हरियाणा सहित देश में प्रति बूंद अधिक फसल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह योजना सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने और उपलब्ध जल संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए बेहतर ऑन-फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है।

vi. भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर योजना का आरंभ किया गया था जिसका उद्देश्य हरियाणा सहित देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना था। इसके परिणामस्वरूप, देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण / पुनरुद्धार किया गया है, जिनमें से 2,120 अमृत सरोवर हरियाणा में हैं।

vii. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा हरियाणा के विभिन्न भागों में 40 जन संपर्क कार्यक्रम (पीआईपी) आयोजित किए गए हैं तथा भूजल के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए 07 टियर II और 14 टियर III प्रशिक्षण आयोजित किए गए।

(ग): नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग के महत्व को समझते हुए तथा उन्नत वैश्विक प्रथाओं के साथ तालमेल रखते हुए, मंत्रालय द्वारा कई अत्याधुनिक तकनीकी विशेषताओं को शामिल किया गया है / इसका उन्नयन किया गया है जिनसे भूजल संसाधनों के अधिक सटीक मैपिंग, मॉनिटरिंग और इसके आकलन में सहायता प्राप्त होने की संभावना है। इस दिशा में किए गए उल्लेखनीय कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. भूजल पर उच्च आवृत्ति डेटा होने के महत्व को महसूस करते हुए, मंत्रालय द्वारा भूजल प्रबंधन और विनियमन (जीडब्ल्यूएम एवं आर) योजना, अटल भूजल योजना आदि जैसी अपनी विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के तहत देश भर में टेलीमेट्री सिस्टम के साथ डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर (डीडब्ल्यूएलआर) स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। हरियाणा सहित राज्य सरकारों को भी राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) के अंतर्गत उक्त कार्यों के लिए वित्तपोषित किया जाता है। ये उपकरण जल स्तर के डेटा को सीधे संबंधित क्षेत्र से केंद्रीय सर्वर तक उच्च आवृत्ति पर संचारित करते हैं जिससे इन आकड़ों के रियल टाइम उपयोग की सुविधा प्राप्त होगी।

ii. हरियाणा के यमुनानगर और कुरूक्षेत्र जिलों के कुछ भागों सहित देश के शुष्क उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में जलभृत्तों के उच्च विभेदन मैपिंग के लिए सीजीडब्ल्यूबी द्वारा सीएसआईआर-एनजीआरआई के सहयोग से ट्रांसएन्ट विद्युत चुम्बकीय पद्धतियों को अपनाते हुए हेली-बोर्न भूभौतिकीय सर्वेक्षण किए गए हैं। इस सर्वेक्षण में भूजल अन्वेषण के साथ-साथ कृत्रिम पुनर्भरण के लिए कई संभावित स्थलों की पहचान की गई थी।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी वकास और गंगा संरक्षण वभाग

राज्य सभा

अतारां कत प्रश्न संख्या **737**

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी)

737. श्री घनश्याम तिवाड़ी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (इआरसीपी) में राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच हुए समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) से राजस्थान के कौन-कौन से हिस्से लाभान्वित होंगे, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): राजस्थान सरकार द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को एक स्वतंत्र परियोजना के रूप में प्रस्ता वत कया गया था। हालां क, चंबल नदी प्रणाली के जल की उपयो गता को अ धकतम करने और व भन्न प्लेटफार्मों पर राजस्थान और मध्य प्रदेश (एमपी) की राज्य सरकारों के साथ की गई वचार- वमर्श के आधार पर, राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्ता वत ईआरसीपी घटकों के साथ-साथ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कूनो, पार्बती और का ल संध उप-बे सनों में प्रस्ता वत घटकों को अन्तर्निहित करते हुए, संशो धत पार्बती-का ल संध-चंबल (संशो धत पीकेसी) लंक परियोजना के लए एक प्रस्ताव तैयार कया गया है। इस संशो धत पीकेसी लंक परियोजना के कार्यान्वयन के लए दिनांक 05.12.2024 को राजस्थान और मध्यप्रदेश राज्यों और भारत सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर कए गए।

इस परियोजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश के लगभग 6 लाख हेक्टेयर (हे) के कमान क्षेत्र को लगभग 1815 म लयन क्यूबिक मीटर पानी के उपयोग की वा र्षक संचाई क्षमता मुहैया करवाया और मालवा क्षेत्र सहित शवपुरी, ग्वा लयर, भंड, मोरेना, श्योपुर, शाजापुर, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, गुन, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, धार और देवास को लगभग 71 म लयन क्यूबिक मीटर पानी की पेयजल आपूर्ति प्रदान करना है। राजस्थान में, इस लंक परियोजना का उद्देश्य पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों (झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सटी, दौसा, करौली, ढोलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली - बेहरोर, जयपुर शहरी, जयपुर ग्रामीण, डुडु, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी) की ल क्षत जनसंख्या को पेयजल (लगभग 1744 म लयन क्यूबिक मीटर पानी) प्रदान करना है और इस परियोजना के मार्ग में आने वाले शहरों, टैंकों और गांवों के साथ-साथ दिल्ली-मुंबई औद्यो गक कॉरिडोर (डीएमआईसी) और अन्य उद्योगों के लए लगभग 205 म लयन क्यूबिक मीटर पानी की औद्यो गक जल की मांग को पूरा करना है। इसमें राजस्थान में 2.5 लाख हेक्टेयर से अ धक नए कमान क्षेत्र की संचाई के लए लगभग 1360 म लयन क्यूबिक मीटर पानी मुहैया कराने के साथ ही लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर के मौजूदा कमान क्षेत्र को स्थिर करने का भी प्रावधान है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 736

.....

चालू/आगामी नदी-जोड़ो परियाजनाएँ

736. श्री देरेक ओब्राईन:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में कतिपय नदी-जोड़ो परियोजनाओं को शुरू करने/पुन: शुरू करने की प्रक्रिया में है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में चल रही/आगामी नदी-जोड़ो परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय-सीमा तय कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड़) क्या सरकार द्वारा आगामी नदी-जोड़ो परियोजनाओं के लाभों का अध्ययन करने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है; और

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग): भारत सरकार द्वारा वर्ष 1980 में जल के अधिशेष बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जल अंतरण करने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गई थी। इस राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को इस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य सौंपा गया है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत 30 आईएलआर परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिनमें दो घटक अर्थात् हिमालयी घटक (14 परियोजनाएं) और प्रायद्वीपीय घटक (16 परियोजनाएं) हैं। ग्यारह (11) परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, 26 परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट और 30 आईएलआर

परियोजनाओं की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट का कार्य पूरा किया जा चुका हैं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत आईएलआर परियोजनाओं की स्थिति का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत केन-बेतवा लिंक परियोजना पहली आईएलआर परियोजना है, जिसके कार्यान्वयन शुरू हो गया है। यह परियोजना मार्च 2030 तक पूरी की जानी है। अन्य लिंक परियोजनाओं के, पूर्ण होने की समयावधि पक्षकार राज्यों के बीच सहमति बनने और उनके कार्यान्वयन के लिए लिंक विशिष्ट समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने पर निर्भर करती है।

(घ) और (ङ): राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत, आईएलआर परियोजनाओं से मिलने वाले लाभों की जानकारी प्राप्त करने के लिए एनडब्ल्यूडीए द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार, एनपीपी के कार्यान्वयन से सतही जल से 25 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता, भूजल के अधिक उपयोग से 10 मिलियन हेक्टेयर क्षमता का लाभ प्राप्त होगा, जिससे देश में विद्युत उत्पादन और अन्य बाढ़ नियंत्रण, नौचालन, जलापूर्ति, मत्स्य पालन, लवणता तथा प्रदूषण नियंत्रण जैसे अनुषांगिक लाभों के अलावा देश की चरम सिंचाई क्षमता 140 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 175 मिलियन हेक्टेयर हो जायेगी। अन्य बातों के साथ-साथ एनपीपी के अंतर्गत प्राप्त होने वाले लाभों का ब्यौरा **अनुलग्नक** में संलग्न है।

*****

अनुलग्नक

"चालू/आगामी नदी-जोड़ो परियाजनाएँ" के संबंध में दिनांक 10.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 736 के भाग (क) से (ग) एवं (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

एनपीपी और उनके लाभान्वित राज्यों के अतंर्गत आईएलआर परियोजनाओं का ब्यौरा

प्रायद्वीपीय घटक

क्र.सं.	नाम	लाभान्वित राज्य	वार्षिक सिंचाई (लाख हेक्टेयर)	घरेलू और औद्योगिक (मिमी 3)	पन पावर (मेगावाट)	स्थिति
1	महानदी गोदावरी - (मणिभद्र) लिंक (दौलैस्वरम)	आंध्र प्रदेश और (एपी) ओडिशा	4.43	802	445	एफआर पूर्ण
	वैकल्पिक महानदी (बरमूल) - ऋषिकुल्या - गोदावरी (दौलैस्वरम) लिंक	आंध्र प्रदेश और ओडिशा	6.25 (0.91 + 3.52 + 1.82**)	700 +125**	210 + 240**	एफआर पूर्ण
2	गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक@@	आंध्र प्रदेश	2.1	162	--	एफआर पूर्ण
3	क) गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक	तेलंगाना	2.87	237	975+ 70= 1045	एफआर पूर्ण
	ख) वैकल्पिक गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक **	तेलंगाना	2.38	232	26	डीपीआर पूर्ण
4	गोदावरी (इंचमपल्ली/एसएसएमपीपी) - कृष्णा (पुलिचिंताला) लिंक	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश	4.74 (0.36+ 4.38)	346	90	डीपीआर पूर्ण
5	क) कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला) लिंक	आंध्र प्रदेश	5.81	124	90	एफआर पूर्ण
	ख) वैकल्पिक कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमसिला) लिंक **	आंध्र प्रदेश	1.71	236	40	डीपीआर पूर्ण
6	कृष्णा (श्रीशैलम) - पेन्नार लिंक	आंध्र प्रदेश	1.79	58	11	मसौदा

						डीपीआर पूर्ण
7	कृष्णा (अलमाटी) - पेन्नार लिंक	कर्नाटक	0.69	467		मसौदा डीपीआर पूर्ण
		आंध्र प्रदेश	1.57	29.83	--	
8	क) पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक	आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु और पुद्दुचेरी	4.91 (0.49+ 4.36 +0.06)	1105		एफआर पूर्ण
	ख) वैकल्पिक पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक *	आंध्र प्रदेश,	0.51	43	--	डीपीआर पूर्ण
		तमिल नाडु	1.14	618		
		पुद्दुचेरी	--	62		
9	कावेरी (कट्टलाई) - वैगई - गुंडर लिंक	तमिल नाडु	4.48	218	--	डीपीआर पूर्ण
10	क) पार्बती-कालीसिंध - चंबल लिंक	मध्य प्रदेश (एमपी) और राजस्थान	विकल्प-I = 2 . 3 0 विकल्प-II = 2.20	- 13.2	--	एफआर पूर्ण
	ख) संशोधित पार्बती-कालीसिंध-चंबल लिंक (ईआरसीपी के साथ विधिवत एकीकृत)	एमपी और राजस्थान	3.38 (प्रति ड्राफ्ट पीएफआर के रूप में) मध्य प्रदेश - 2.58 राजस्थान -0.8	राजस्थान- डोमेस्टिक- 1723 एमसीएम औद्योगिक- 286 एमसीएम एमपी- डोमेस्टिक -36 एमसीएम	--	मसौदा पीएफआर पूर्ण
11	दमनगंगा - पिंजल लिंक	महाराष्ट्र (केवल मुम्बई के लिए जलापूर्ति)	--	895	5	डीपीआर पूर्ण
12	पार-तापी-नर्मदा लिंक	गुजरात	2.28	76	21	डीपीआर पूर्ण
		महाराष्ट्र	0.04	--	--	
13	केन-बेतवा लिंक	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश	10.62 (2.51	194	103 मेगावाट (हाइड्रो) और 27	डीपीआर पूर्ण और कार्यान्वयन

			+8.11)		मेगावाट (सौर)	आरंभ हुआ
14	पंबा - अचनकोविल - वैप्पर लिंक	तमिलनाडु	0.91	--	3.87	एफआर पूर्ण
		केरल			504.5	
15	बेदती - वरदा लिंक@	कर्नाटक	1.05	38	--	डीपीआर पूर्ण
16	नेत्रवती - हेमवती लिंक***	कर्नाटक	0.34	--	--	पीएफआर पूर्ण

**ओडिशा को ओडीशा सरकार के छह परियोजनाओं से लाभ

* मणिभद्र और इंचमपल्ली बांधों पर लंबित सहमति के कारण गोदावरी नदी के अप्रयुक्त जल मोड़ने के लिए वैकल्पिक अध्ययन किया गया था और गोदावरी (इंचमपल्ली जनमपेट)-कृष्णा (नागार्जुन सागर)-पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजनाओं की डीपीआर का कार्य पूरा कर लिया गया था। गोदावरी-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना तैयार कर ली है जिसमें गोदावरी (इंचमपल्ली जनमपेट)-कृष्णा (नागार्जुन सागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमासिला) और पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजनाएं शामिल हैं। कावेरी कावेरी बेसिन से सटे वेल्लार नदी की सहायक नदी मणिमुखता नदी में लिंक नहर को समाप्त करने के लिए रिपोर्ट को और अपडेट किया गया था।

@ बेदती-वरदा लिंक- इसकी पीएफआर तैयार होने के बाद सीधे डीपीआर तैयार किया गया था, कोई एफआर तैयार नहीं किया गया था।

**** गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक- इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है।

*** आगे के अध्ययन शुरू नहीं किए गए हैं क्योंकि कर्नाटक सरकार द्वारा यट्टीनाहोल परियोजना के कार्यान्वयन के बाद, इस लिंक के माध्यम से नेत्रावती बेसिन में पानी के डायवर्जन डायवर्जन के लिए कोई अधिशेष पानी उपलब्ध नहीं है।

नोट:- क्रम संख्या 10 (क) पर पीकेसी लिंक के लिए: विकल्प-I, गांधीसागर बांध के साथ लिंकिंग, लिंकिंग, विकल्प-II राणा प्रताप सागर बांध के साथ लिंकिंग

हिमालयी घटक

क्र.सं.	नाम	देश/लाभान्वित राज्य	वार्षिक सिंचाई (लाख हेक्टेयर)	घरेलू और औद्योगिक (मिमी 3)	पन पावर (मेगावाट)	स्थिति
1.	कोसी-मेची लिंक	बिहार और नेपाल	4.74 (2.99+1.75)	24	3180	पीएफआर पूर्ण
2.	कोसी-घाघरा लिंक	बिहार, यूपी और नेपाल	8.35 (6.05+1.20 +1.10)	0	--	एफआर पूर्ण
3.	गंडक - गंगा लिंक	यूपी और नेपाल	34.58 (28.80+5.78)	700	4375 बांध पीएच और 180 नहर पीएच	एफआर पूर्ण और परिचालित
4.	घाघरा-यमुना लिंक	यूपी और नेपाल	27.84 (25.30 + 2.54)	1391	10884	मसौदा एफआर पूर्ण
5.	सारदा-यमुना लिंक	यूपी और उत्तराखंड	2.95 (2.65 + 0.30)	3054	6620	एफआर पूर्ण
6.	यमुना-राजस्थान लिंक	हरियाणा और राजस्थान	2.51 (0.11+ 2.40)	30	--	एफआर पूर्ण
7.	राजस्थान-साबरमती लिंक	राजस्थान और गुजरात	11.53 (11.21+0.32)	102	--	एफआर पूर्ण
8.	चुनार-सोन बैराज लिंक	बिहार और उत्तर प्रदेश	0.67 (0.13 + 0.54)	--	--	मसौदा एफआर पूर्ण
9.	सोन बांध-गंगा लिंक की दक्षिणी सहायक नदियां	बिहार और झारखंड	3.07 (2.39 + 0.68)	360	95 बांध पीएच और 5 नहर पीएच	मसौदा एफआर पूर्ण
10.	मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एम-एस-टी-जी) लिंक	असम, पश्चिम बंगाल और बिहार	3.41 (2.05 + 1.00 + 0.36)	--	--	एफआर पूर्ण
11.	जोगीघोपा-तिस्ता-फरक्का लिंक (एम-एस-टी-जी का विकल्प)	असम, पश्चिम बंगाल और बिहार	3.559 (0.975+ 1.564+ 1.02)	265	360	पीएफआर पूर्ण (प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है)
12.	फरक्का-सुंदरबन लिंक	पश्चिम बंगाल	1.50	184	--	एफआर पूर्ण
13.	गंगा (फरक्का) - दामोदर-सुवर्णरेखा लिंक	पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड	12.30 (11.18+ 0.39+ 0.73)	432	--	एफआर पूर्ण
14.	सुवर्णरेखा-महानदी लिंक	पश्चिम बंगाल और ओडिशा	2.16 (0.18+ 1.98)	198	20	एफआर पूर्ण

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 735

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

भूजल संदूषण

735. श्री अनिल कुमार यादव मंदादी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि देश भर में भूजल संदूषित है, जिससे इसका उपयोग करने वाले जीवों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस तथ्य से भी अवगत है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने भूजल संदूषण के मुद्दे पर गंभीरता से आवाज उठाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा पूरे देश में नियमित आधार पर नाइट्रेट, आर्सेनिक, फ्लोराइड, भारी धातुओं आदि विभिन्न संदूषकों का पता लगाने के लिए भूजल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की जाती है और विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के दौरान क्षेत्रीय स्तर पर भूजल गुणवत्ता डेटा तैयार किए जाते है। इन अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि देश में अधिकांशत भूजल पीने योग्य है। तथापि, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अलग-अलग पॉकेटों के भूजल में उक्त संदूषकों की मात्रा मानव उपयोग के लिए अनुमत सीमा (बीआईएस के अनुसार) से अधिक होने की सूचना प्राप्त हुई है।

सीजीडब्ल्यूबी की वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार, 23 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के 440 जिलों के अलग-अलग पॉकेटों में अनुमत सीमा से अधिक नाइट्रेट की सूचना प्राप्त हुई है। इसी प्रकार, 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 263 जिलों के कुछ पॉकेटों में फ्लोराइड पाया

गया है। इसके अतिरिक्त 20 राज्यों के 118 जिलों के छिटपुट भागों में आर्सेनिक की सूचना प्राप्त हुई है।

(ग) और (घ): जल शक्ति मंत्रालय द्वारा देश में भूजल संदूषण के मुद्दे का समाधान करने के लिए संबंधित राज्यों के समन्वय से व्यापक कदम उठाए गए हैं। भारत सरकार द्वारा अगस्त 2019 से देश में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन के माध्यम से प्रदूषण के विषय में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए सक्रिय कदम उठाए गए हैं, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को निर्धारित गुणवत्ता और नियमित एवं दीर्घकालिक आधार पर नल के पेय जल की आपूर्ति प्रदान करना है। जेजेएम के अंतर्गत, गुणवत्ता प्रभावित रिहाइशों को उच्च प्राथमिकता दी जाती है।

उक्त संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप, यह सूचना प्राप्त हुई है कि अगस्त 2019 से जनवरी 2025 तक देश में आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित रिहाइशों की संख्या क्रमशः 14,020 से घटकर 314 और 7,996 से घटकर 254 हो गई है। शेष रिहाइशों को सामुदायिक जल शोधक संयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपी) के माध्यम से स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल प्रदान किया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, आर्सेनिक/फ्लोराइड सुरक्षित कुओं के निर्माण और इसकी प्रौद्योगिकी के प्रचार प्रसार के माध्यम से पेयजल गुणवत्तायुक्त भूजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) की सक्रिय भूमिका है।

******

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 734

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

अमृत सरोवर मिशन के तहत वर्तमान स्थिति और प्रमुख उपलब्धियाँ

734. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मिशन अमृत सरोवर की वर्तमान स्थिति और प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं और योजना के तहत कितने जल निकायों का विकास या पुनरूद्धार किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना ने राज्यों में, विशेष रूप से राजस्थान और हरियाणा जैसे जल की कमी वाले क्षेत्रों में, भूजल पुनरुद्धार और कृषि उत्पादकता को किस प्रकार प्रभावित किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन जल निकायों के रखरखाव में दीर्घकालिक स्थिरता और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): मिशन अमृत सरोवर को अप्रैल 2022 में देश भर में कुल 50,000 अमृत सरोवर के साथ प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर (तालाब) के निर्माण/पुनरूद्धार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। इस पहल से जल की कमी जैसे गंभीर मामलों से निपटने में अच्छी प्रगति हुई है। अक्टूबर 2024 तक, 68,000 से अधिक सरोवरों का कार्य पूरा किया जा चुका है जिससे विभिन्न क्षेत्रों में सतही और भूजल की उपलब्धता में सुधार हो रहा है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से किए गए भूजल संसाधन आकलन से पता चलता है कि निरंतर संरक्षण प्रयासों के कारण ही भूजल पुनर्भरण में अच्छी बढोत्तरी हुई है। मिशन अमृत सरोवर और जल स्तर को बनाए रखने में टैंकों, तालाबों और जल संरक्षण संरचनाओं की भूमिका से जल संरक्षण की सफलता को दर्शाता है जिससे टैंकों, तालाबों और जल संरक्षण संरचनाओं से होने वाला जल पुनर्भरण, वर्ष 2017 में 13.98 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) से बढ़कर वर्ष 2024 में 25.34 बीसीएम हो गया। पूरे किए गए अमृत सरोवरों का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-**I** में दिया गया है। इन सरोवरों से न केवल जल की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा किया है बल्कि ऐसे स्थायी जल स्रोत भी स्थापित हुए हैं जिन्हें

सिंचाई और अन्य उद्देश्यों में उपयोग में लाया जा सकता है जिससे कृषि उत्पादक क्षमता में सुधार होता है। राजस्थान और हरियाणा राज्य में पूरे किए गए अमृत सरोवर का जिला-वार विवरण अनुलग्नक-**II** और अनुलग्नक-**III** में दिया गया है।

(ग): इस पूरे मिशन में लोगों की भागीदारी प्रमुख रही है। मिशन अमृत सरोवर के दिशानिर्देशों के प्रावधानों में नागरिकों और गैर-सरकारी संसाधनों की सक्रियता को बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों से लक्ष्यों को हासिल करने के स्पष्ट प्रावधान निम्न प्रकार से हैं:

i. अमृत सरोवर की आधारशिला रखने का कार्य, स्वतंत्रता सेनानी या उनके परिवार के सदस्य या शहीद (स्वतंत्रता पश्चात) के परिवार द्वारा या स्थानीय पद्म पुरस्कार विजेता द्वारा किया जाएगा और यदि ऐसा कोई नागरिक उपलब्ध नहीं है तो स्थानीय ग्राम पंचायत के वरिष्ठतम सदस्य द्वारा किया जाएगा।

ii. लोगों के लिए निर्माण सामग्री, बेंच और श्रमदान द्वारा योगदान करने का प्रावधान।

iii. यदि गांव के समुदाय की ऐसी इच्छा है कि सरोवर स्थल का सौंदर्यीकरण हो तो वे आवश्यक दान जुटाने के लिए क्राउड सोर्सिंग और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (कारपोरेट सोशल रिस्पौंसबिलिटी-सीएसआर) योगदान के माध्यम से इसे जुटा सकते हैं।

iv. स्वतंत्रता दिवस/गणतंत्र दिवस के अवसर पर, प्रत्येक अमृत सरोवर स्थल पर तिरंगा फहराने की व्यवस्था की गई है, जिसे स्वतंत्रता सेनानी या उनके परिवार के सदस्य या शहीद के परिवार के सदस्य या स्थानीय पद्म पुरस्कार विजेता द्वारा फहराया जाएगा। अमृत सरोवर स्थलों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम उत्सव मनाए गए हैं।

इस मिशन में विशेष रूप से किसानों, मछुआरों और स्थानीय समुदायों के बीच उपयोगकर्ता समूहों के गठन को बढ़ावा दिया जाता है जिससे कि सिंचाई, जलकृषि और संबधित कार्यकलापों में जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

*****

अनुलग्नक-I

"अमृत सरोवर मिशन के तहत वर्तमान स्थिति और प्रमुख उपलब्धियाँ" के संबंध में दिनांक 10.02.2025 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 734 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

अमृत सरोवरों की पूर्णता का राज्यवार विवरण		
क्र.सं.	राज्य	पूर्ण किए गए अमृत सरोवरों की कुल संख्या
1	अंडमान और निकोबार	227
2	आंध्र प्रदेश	2154
3	अरुणाचल प्रदेश	772
4	असम	2966
5	बिहार	2613
6	छत्तीसगढ	2902
7	गोवा	159
8	गुजरात	2650
9	हरियाणा	2088
10	हिमाचल प्रदेश	1691
11	जम्मू और कश्मीर	1056
12	झारखंड	2048
13	कर्नाटक	4056
14	केरल	866
15	लद्दाख	100
16	मध्य प्रदेश	5839
17	महाराष्ट्र	3055
18	मणिपुर	1226
19	मेघालय	705
20	मिजोरम	1031
21	नगालैंड	256
22	ओडिशा	2367
23	पुदुचेरी	152
24	पंजाब	1450
25	राजस्थान	3138
26	सिक्किम	199
27	तमिलनाडु	2487
28	तेलंगाना	1872
29	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	58
30	त्रिपुरा	682
31	उत्तराखंड	1322
32	उत्तर प्रदेश	16630
33	पश्चिम बंगाल	25
	कुल	68842

*****

अनुलग्नक-।।

"अमृत सरोवर मिशन के तहत वर्तमान स्थिति और प्रमुख उपलब्धियाँ" के संबंध में दिनांक 10.02.2025 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 734 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

राजस्थान में पूर्ण अमृत सरोवरों का जिला वार विवरण		
क्र. सं.	जिला	पूर्ण किए गए अमृत सरोवरों की कुल संख्या
1	अजमेर	104
2	अलवर	119
3	बांसवाड़ा	148
4	बारां	75
5	बाड़मेर	97
6	भरतपुर	69
7	भीलवाड़ा	140
8	बीकानेर	124
9	बूंदी	107
10	चितौड़गढ़	74
11	चुरू	104
12	दौसा	78
13	धौलपुर	67
14	डूंगरपुर	109
15	गंगानगर	95
16	हनुमानगढ़	69
17	जयपुर	99
18	जैसलमेर	87
19	जालोर	100
20	झालावाड़	107
21	झुंझुनूं	75
22	जोधपुर	103
23	करौली	95
24	कोटा	68
25	नागौर	98
26	पाली	130
27	प्रतापगढ़	48
28	राजसमंद	76
29	सवाई माधोपुर	69
30	सीकर	79
31	सिरोही	97
32	टोंक	99
33	उदयपुर	129
	कुल	3,138

*****

अनुलग्नक-।।।

"अमृत सरोवर मिशन के तहत वर्तमान स्थिति और प्रमुख उपलब्धियाँ" के संबंध में दिनांक 10.02.2025 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 734 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

हरियाणा में पूर्ण अमृत सरोवर का जिला वार विवरण		
क्रम संख्या	जिला	पूर्ण किए गए अमृत सरोवरों की कुल संख्या
1	अम्बाला	95
2	भिवानी	141
3	चरखी दादरी	57
4	फरीदाबाद	33
5	फतेहाबाद	153
6	गुडगाँव	48
7	हिसार	170
8	झज्जर	40
9	जींद	163
10	कैथल	86
11	करनाल	153
12	कुरूक्षेत्र	109
13	महेंद्रगढ़	88
14	नूह	88
15	पलवल	43
16	पंचकुला	29
17	पानीपत	95
18	रेवाड़ी	92
19	रोहतक	88
20	सिरसा	103
21	सोनीपत	70
22	यमुनानगर	144
	कुल	2088

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 733

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

सूखते जल निकाय

733. सुश्री सुष्मिता देवः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश भर में सूखते जल निकायों का कोई व्यापक सर्वेक्षण या मानचित्रण किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) निकट भविष्य में पूरी तरह से सूखने की आशंका वाले प्रमुख जल निकायों की राज्य-वार सूची क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नदियों, झीलों और अन्य जल निकायों के किनारों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं, जो उनके सूखने का कारण बन सकते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सूखते जल निकायों के पुनरूद्धार और जीर्णोद्धार के लिए वर्तमान योजनाएं क्या हैं और पिछले पांच वर्षों में कितना धन आवंटित और उपयोग किया गया है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): केंद्रीय प्रायोजित योजना "सिंचाई जनगणना" के अंतर्गत 2017-18 संदर्भ वर्ष के साथ जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जल निकायों की प्रथम जनगणना का कार्य 100% केंद्रीय सहायता के साथ किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह जनगणना सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में चिन्हित किए गए नोडल विभागों के माध्यम से की गई है। इस जनगणना में जल निकाय के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी एकत्र की गई, जिसमें परिस्थिति, अतिक्रमण की स्थिति, उपयोग, भंडारण क्षमता, भंडारण की स्थिति, सूखने के कारण जल निकायों का उपयोग में न होना आदि शामिल हैं। सूखने के कारण उपयोग में नहीं आने वाले जल निकायों का विवरण अनुलग्नक-**I** में दिया गया है।

(ग): जल निकायों पर रिपोर्ट किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई संबंधित राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के दायरे में आती है। हालांकि, केंद्र सरकार जल निकायों के महत्व के बारे में राज्य सरकारों को जागरूक कर रही है। जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए अवैध निर्माण को रोकना, जल

निकायों को भूमि अभिलेखों में शामिल करना और उन्हें नगर नियोजन प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना, अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई आदि, जैसे महत्वपूर्ण उपायों को आवश्यकता पर भी केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर राज्य सरकारों को पत्र लिखे जाते हैं।

(घ): भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में "प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)" को शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य खेतों पर पानी की वास्तविक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को शुरू करना आदि है। हर खेत को पानी (एचकेकेपी), पीएमकेएसवाई के घटकों में से एक है। इस घटक के अंतर्गत, जल निकायों के मरम्मत, नवीकरण और पुनर्स्थापन (आरआरआर) की योजना द्वारा राज्यों को जल निकायों की सिंचाई क्षमता निर्माण और पुनर्स्थापन के लिए केंद्रीय सहायता (सीए) प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों में राज्यों को जारी की गई केंद्रीय सहायता का विवरण अनुलग्नक-**II** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

"सूखते जल निकाय" के संबंध में दिनांक 10.02.2025 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 733 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार सूखने के कारण उपयोग में नहीं आने वाले जल निकायों की संख्या		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सूखने के कारण उपयोग में नहीं आने वाले जल निकायों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	102
2	आंध्र प्रदेश	1889
3	अरुणाचल प्रदेश	12
4	असम	2472
5	बिहार	3957
6	चंडीगढ़	0
7	छत्तीसगढ़	1297
8	दिल्ली	77
9	गोवा	61
10	गुजरात	3
11	हरियाणा	180
12	हिमाचल प्रदेश	4904
13	जम्मू और कश्मीर	1051
14	झारखंड	4074
15	कर्नाटक	3204
16	केरल	642
17	मध्य प्रदेश	8036
18	महाराष्ट्र	194
19	मणिपुर	13
20	मेघालय	134
21	मिजोरम	23
22	नागालैंड	11
23	उड़ीसा	5600
24	पुदुचेरी	2
25	पंजाब	471
26	राजस्थान	1688
27	सिक्किम	8
28	तमिलनाडु	21449
29	तेलंगाना	9540
30	त्रिपुरा	0
31	उत्तराखंड	204
32	उत्तर प्रदेश	21374
33	पश्चिम बंगाल	337
	कुल	93009

*****

अनुलग्नक –**II**

"सूखते जल निकाय" के संबंध में दिनांक 10.02.2025 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 733 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

"सूखते जल निकाय" के संबंध में दिनांक 10.02.2025 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 733 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के जल निकायों के आरआरआर घटक के अंतर्गत जारी की गई केंद्रीय सहायता (सीए) । *(करोड़ रु. में)*					
वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
जारी की गई केंद्रीय सहायता	64.79	35.79	26.05	58.54	135.97

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 732

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

नदी निकायों का प्रदूषण

732. श्री पी. विल्सन:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में 603 नदियों के आकलन में पता चला है कि 279 नदियों के 311 हिस्से प्रदूषित हैं, क्या सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है, परामर्शी जारी की है या कोई पहल की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी बयौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इस मुद्दे का हल न करने के क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार ने देश में जल निकाय गणना की है, यदि हाँ, तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकायों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): नदियों का सफाई/संरक्षण कार्य एक सतत प्रक्रिया है। नदियों और अन्य जल निकायों में बहाने से पहले सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों का आवश्यक उपचार सुनिश्चित करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और शहरी स्थानीय निकायों की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने मूल आवेदन संख्या 673/2018 में जारी किए हैं, जिसमें एनजीटी ने निर्देश दिया कि सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा देश में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिन्हित किए गए प्रदूषित नदी खंडों के कायाकल्प के लिए कार्य योजनाएँ तैयार की जानी चाहिए। इन आदेशों के अनुपालन में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी कार्य योजना तैयार की गई और उन्हें सक्षम प्राधिकरण से स्वीकृत करवाया गया है।इन दिशा-निर्देश के अनुसार, उक्त कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी की समीक्षा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्रीय स्तर पर की जाती है।

इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा गंगा बेसिन में नदियों/सहायक नदियों में प्रदूषण को कम करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना और देश की अन्य नदियों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को वित्तीय सहायता प्रदान करके संपूरित किया गया है।

(ग): देश में चिन्हित जल निकायों का राज्यवार वितरण निम्न लिंक पर देखा जा सकता है: https://indiawris.gov.in/wris//swbody

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 731

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

देश के पश्चिमी भाग में नदियों को जोड़ना

731. श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश के पश्चिमी भाग में 11 बड़ी और छोटी नदियों को जोड़ने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त उद्देश्य के लिए चयनित नदियों के नाम क्या हैं;

(ग) उक्त परियोजना पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है तथा उक्त उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत/जारी की गई है;

(घ) क्या सरकार द्वारा उक्त परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड़) क्या सरकार ने उक्त परियोजना के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों के साथ कोई समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ड़): वर्ष 1980 में, भारत सरकार ने जल के अधिशेष बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जल अंतरण करने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने (आईएलआर) के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की। एनपीपी के 30 लिंक परियोजनाओं की पहचान की गई है जिनमें दो घटक हैं, अर्थात्; हिमालयी घटक (14 लिंक परियोजनाएं) और प्रायद्वीपीय घटक (16 लिंक परियोजनाएं)।

देश के पश्चिमी भाग में एनपीपी के तहत 5 आईएलआर परियोजनाएं हैं, अर्थात; यमुना-राजस्थान लिंक, राजस्थान-साबरमती लिंक, संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल (संशोधित पीकेसी) लिंक, दमनगंगा-पिंजल लिंक और पार-तापी-नर्मदा लिंक। इन परियोजनाओं के विवरण के साथ-साथ इन परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)/व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर)/पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) की तैयारी की स्थिति, लाभान्वित राज्य और उनसे जोड़ी जाने वाली नदियों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

देश के पश्चिमी भाग में उपरोक्त 5 आईएलआर परियोजनाएं अभी तक कार्यान्वयन के चरण तक नहीं पहुंची हैं, क्योंकि संबंधित आईएलआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सर्वसम्मति तक पहुंचना संबंधित राज्यों पर निर्भर करता है। इन परियोजनाओं के लिए धनराशि स्वीकृति/जारी तब होगी जब ये परियोजनाएँ कार्यान्वयन के चरण में पहुंचेंगी। परियोजनाओं की अनुमानित लागत **अनुलग्नक-II** में दर्शाई गई है।

****

अनुलग्नक-I

"देश के पश्चिमी भाग में नदियों को जोड़ना" के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 10.02.2025 को अतारांकित प्रश्न संख्या 731 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

देश के पश्चिमी भाग में 5 आईएलआर परियोजनाओं का विवरण

क्रम संख्या	लिंक का नाम	लाभान्वित राज्य	डीपीआर/एफआर/पीएफआर की स्थिति	नदियाँ
1.	यमुना-राजस्थान लिंक	हरियाणा और राजस्थान	एफआर पूर्ण	यमुना
2.	राजस्थान-साबरमती लिंक	राजस्थान और गुजरात	एफआर पूर्ण	लूनी, सुकरी, सागी, बांडी और सुकाल बनास
3.	संशोधित पार्बती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना	राजस्थान और मध्य प्रदेश	पीएफआर पूर्ण	पारबती, कालीसिंध, चंबल, कुल, बनास, मेज, कूनो, चामला, शिप्रा, लखुंदर, नेवज
4.	दमनगंगा-पिंजल लिंक	महाराष्ट्र	डीपीआर पूर्ण	दमनगंगा, पिंजल
5.	पार-तापी-नर्मदा लिंक	महाराष्ट्र और गुजरात	डीपीआर पूर्ण	पार, तापी और नर्मदा

उपरोक्त आईएलआर परियोजनाओं के अन्य विवरण इस प्रकार हैं:

1. यमुना-राजस्थान लिंक परियोजना: यमुना-राजस्थान लिंक परियोजना में हरियाणा राज्य में प्रस्तावित यमुना बैराज से जल ग्रहण की परिकल्पना की गई है और यह राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में समाप्त होती है। इस लिंक नहर से हरियाणा के भिवानी जिले और राजस्थान

के हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर जिलों के रेगिस्तानी इलाकों को लाभ मिलता है। इस लिंक नहर से 2.51 लाख हेक्टेयर (हेक्टेयर) वार्षिक सिंचाई क्षमता (हरियाणा में 0.11 लाख हेक्टेयर और राजस्थान में 2.40 लाख हेक्टेयर) और इस दौरान घरेलू जरूरतों के लिए 30 (मिलियन क्यूबिक मीटर) (एमसीएम) जल उपलब्ध होगा।

2. **राजस्थान-साबरमती लिंक परियोजना:** राजस्थान-साबरमती लिंक नहर यमुना-राजस्थान लिंक नहर का विस्तार है और यह राजस्थान के जैसलमेर जिले से शुरू होकर गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में समाप्त होती है। यह लिंक परियोजना कुल 11.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र (राजस्थान में 11.21 लाख हेक्टेयर और गुजरात में 0.32 लाख हेक्टेयर) के लिए वार्षिक सिंचाई क्षमता और 102 एमसीएम (राजस्थान में 97 एमसीएम और गुजरात में 5 एमसीएम) की घरेलू जल आपूर्ति प्रदान करती है।

3. **संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना:** संशोधित पीकेसी लिंक का मसौदा पीएफआर और संशोधित पीकेसी लिंक की डीपीआर तैयार करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) का मसौदा जनवरी 2023 में दोनों राज्यों को भेजा गया था। भारत सरकार के लगातार प्रयासों से इन दोनों राज्यों ने 28.01.2024 को नई दिल्ली में दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में इसकी डीपीआर तैयार करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद 05.12.2024 को राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए।

यह परियोजना मध्य प्रदेश को लाभान्वित करेगी, जिससे लगभग 1815 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) जल का उपयोग करके लगभग 6 लाख हेक्टेयर (हेक्टेयर) के कमांड क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई हो सकेगी और मालवा क्षेत्र सहित शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शाजापुर, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, गुना, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, धार और देवास जिलों को लगभग 71 एमसीएम पानी की पेयजल आपूर्ति हो सकेगी। राजस्थान में, लिंक परियोजना का उद्देश्य पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों (झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरौर, जयपुर शहरी, जयपुर ग्रामीण, दूदू, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी) और मार्ग में पड़ने वाले कस्बों, तालाबों और गांवों की लक्षित आबादी को पेयजल (लगभग 1744 एमसीएम जल) उपलब्ध कराना है और साथ ही दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) और अन्य उद्योगों के लिए लगभग 205 एमसीएम

जल की औद्योगिक मांग को पूरा करना है। राजस्थान में लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर के मौजूदा कमांड क्षेत्र को स्थिर करने के साथ-साथ नए कमांड क्षेत्र के 2.5 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की सिंचाई के लिए लगभग 1360 एमसीएम जल का भी प्रावधान है।

4. **दमनगंगा-पिंजल लिंक** में दमनगंगा नदी बेसिन में भीगड़ [7.41 हज़ार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसी)] बांध से जल को वैतरणा नदी बेसिन में अंतरित करने की परिकल्पना की गई है, जिससे वैतरणा नदी बेसिन में पिंजल बांध से अतिरिक्त 1586 एमएलडी (20.44 टीएमसी) जल उपलब्ध होगा। इस प्रकार, मुंबई शहर को जलापूर्ति के लिए कुल 31.60 टीएमसी जल उपलब्ध होगा।

5. **पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना** में पार, औरंगा, अंबिका और पूर्णा नदी घाटियों के 46.96 टीएमसी अधिशेष जल का उपयोग इनके मार्ग में सिंचाई के लिए तथा परियोजना के **आसपास** के क्षेत्रों में पेयजल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। यह परियोजना नर्मदा नहर प्रणाली की मौजूदा मियागाम शाखा नहर के कमांड क्षेत्र के एक हिस्से को भी अपने अधीन ले लेगी, ताकि सरदार सरोवर परियोजना में बचाए गए जल को गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों के जल की कमी वाले क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के लिए उत्तर की ओर ले जाया जा सके।

अनुलग्नक-II

"देश के पश्चिमी भाग में नदियों को जोड़ना" के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 10.02.2025 को अतारांकित प्रश्न संख्या 731 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

देश के पश्चिमी भाग में आईएलआर परियोजनाओं की अनुमानित लागत

क्रम संख्या	लिंक का नाम	परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)
1.	यमुना-राजस्थान लिंक	वर्ष 2020-21 के मूल्य स्तर (पीएल) पर 33,744.64 रुपये
2.	राजस्थान-साबरमती लिंक	वर्ष 2019-20 के पीएल पर 25,299.39 रुपये
3.	संशोधित पार्बती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना	-
4.	दमनगंगा-पिंजल लिंक	वर्ष 2015-16 के पी.एल. पर 3,008 रु.
5.	पार-तापी-नर्मदा लिंक	वर्ष 2014-15 के पी.एल. पर 10,211 रु.

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 729

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विनियमों का कार्यान्वयन

729. श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का राज्यों के लिए केंद्रीय बाढ़ प्रबंधन निधि के उपयोग के लिए बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण कानून को अनिवार्य बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह देखते हुए कि आज की तिथि तक केवल चार राज्यों ने ही ऐसे कानून को अधिनियमित किया है, राज्यों को बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2005 को कार्यान्वित करने और बाढ़ परिक्षेत्रणों का सीमांकन करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): केंद्र सरकार ने बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोध, जल निकासी विकास, समुद्री कटाव-रोध आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने हेतु ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) लागू किया था, जो बाद में वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रहा और इसे वर्ष 2026 तक आगे बढ़ा दिया गया। केवल उन राज्यों की नई महत्वपूर्ण बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं पर, जिन्होंने कानून के माध्यम से या उपयुक्त कार्यकारी आदेश के माध्यम से बाढ़ मैदान जोनिंग (एफपीजेड) को लागू किया है, केवल उन्हीं पर 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान एफएमबीएपी योजना के एफएमपी घटक के तहत वित्त पोषण के लिए विचार किया जा सकता है।

(ख): भारत सरकार द्वारा कोई बाढ़ मैदान क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2005 नहीं बनाया गया है।

नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधा रहित बनाने तथा बाढ़ से होने वाले संभावित नुकसान को कम करने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार द्वारा बाढ़ मैदान जोनिंग कानून के लिए एक मॉडल मसौदा विधेयक वर्ष 1975 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कानून बनाने के लिए मार्गदर्शन देने के लिए प्रसारित किया गया था। केवल चार राज्यों ने अपने राज्य में बाढ़ मैदान क्षेत्रीकरण कानून बनाया है। इसके अलावा, इस मंत्रालय ने मार्गदर्शन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बाढ़ मैदान जोनिंग पर एक तकनीकी दिशा-निर्देश प्रसारित किया है। बाढ़ मैदान जोनिंग दिशा-निर्देशों में बाढ़ की आवृत्ति के अनुसार, नदी के बाढ़ मैदान की जोनिंग करने की परिकल्पना की गई है और बाढ़ मैदान के उपयोग के प्रकार को परिभाषित किया गया है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 728

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

एनजीपी के तहत एनवायरनमेंट-फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थिति और प्रभावशीलता

728. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में नदी की गुणवत्ता और पारिस्थितिक प्रवाह की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए शुरू की गई एनवायरनमेंट फ्लो (ई-फ्लो) निगरानी प्रणाली की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) परिचालन क्षमता और मूल्यांकन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने सहित नमामि गंगे कार्यक्रम (एनजीपी) के तहत निगरानी किए गए एसटीपी के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) गंगा नदी पर बनाए गए बांधों के कारण इस नदी के प्रवाह में बाधा और पारिस्थितिक क्षति जैसे मुद्दों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) चालू परियोजनाओं को पूरा करने की समयसीमा और नदी पुनरूद्धार कार्यक्रमों को अन्य नदियों तक विस्तारित करने की योजनाओं सहित 'नमामि गंगे' मिशन के अंतर्गत की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) को वांछित ई-प्रवाह के रखरखाव संबंधी अनुपालन की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीडब्ल्यूसी द्वारा 1 जनवरी, 2019 से ई-प्रवाह की निगरानी की जा रही है।

(ख): एनएमसीजी ऑनलाइन सतत बहि:स्राव निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) के माध्यम से गंगा बेसिन में स्थापित एसटीपी के कार्य निष्पादन की निगरानी करता है और केंद्रीय निगरानी समिति की बैठक में कार्य निष्पादन की समीक्षा करता है। केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) को
सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, कुल 732 एसटीपी हैं, जिनमें से 542 एसटीपी निर्धारित मानकों का अनुपालन कर रहे हैं;

(ग): भारत सरकार ने 9 अक्टूबर 2018 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से गंगा नदी के लिए न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह को अधिसूचित किया है, जिसे नदी पर जल-विद्युत/बहुउद्देशीय परियोजनाओं के डाउनस्ट्रीम के विभिन्न स्थानों पर बनाए रखा जाना है। गंगा बेसिन में पारिस्थितिक बहाली और संरक्षण के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों में शामिल हैं;

i) जैव विविधता संरक्षण: उत्तर प्रदेश के सात जिलों (मिर्जापुर, बुलन्दशहर, हापुड़, बदायूँ, अयोध्या, बिजनौर और प्रतापगढ़) में सात जैव विविधता पार्क और उत्तर प्रदेश (3), बिहार (1) और झारखंड (1) में 5 प्राथमिकता वाले आर्द्रभूमि स्वीकृत किए गए हैं;

ii) एनएमसीजी ने, राज्य वन विभाग के माध्यम से, गंगा नदी के मुख्य प्रवाह के साथ एक **वानिकी कार्यकलाप** परियोजना लागू की है। लगभग 398 करोड़ रूपए की लागत से 33,024 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है;

iii) केंद्रीय अंतर्स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सीआईएफआरआई) द्वारा कार्यान्वित विशेष परियोजना के तहत नदी डॉल्फ़िन के लिए मछली की जैव विविधता और प्रे बेस को संरक्षित करने और गंगा बेसिन में मछुआरों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2017 से कुल 143.8 लाख भारतीय मेजर कार्प (आईएमसी) फिंगरलिंग को गंगा में पाला गया है;

iv) भारतीय वन्य जीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई), देहरादून और राज्य वन विभाग के सहयोग से डॉल्फ़िन, ऊदबिलाव, हिल्सा, कछुए और घड़ियाल जैसी जलीय प्रजातियों के लिए विज्ञान-आधारित प्रजातियों की बहाली कार्यक्रम, बचाव और पुनर्वास कार्यक्रम ने डॉल्फ़िन, ऊदबिलाव, हिल्सा, कछुए और अन्य नदी प्रजातियों की बढ़ती उपस्थिति के साथ जैव विविधता में उल्लेखनीय सुधार दिखाया है;

(घ): भारत सरकार ने गंगा और उसकी सहायक नदियों (जैसे कि यमुना, राम गंगा, सरयू, सोन, हिंडन, गोमती, कृष्णा, आदि) के पुनरुद्धार के लिए वर्ष 2014-15 से मार्च 2021 तक पांच वर्षों के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम (एनजीपी) शुरू किया था और इसे मार्च 2026 तक आगे बढ़ा दिया गया है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत, गंगा नदी की सफाई और पुनरूद्धार के लिए विविध और समग्र उपायों को शुरू किया गया है, जिसमें अपशिष्ट जल उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नदी तट प्रबंधन (घाट और श्मशान), ई-प्रवाह सुनिश्चित करना, ग्रामीण स्वच्छता, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण, जन भागीदारी आदि शामिल हैं। 39,730 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर कुल 488 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं, 305 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं और चालू हो चुकी हैं।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 727

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

डीवीसी से पानी छोड़ा जाना

727. श्रीमती सागरिका घोष:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की पश्चिमी बंगाल राज्य में बाढ़ की संभावना को कम करने के लिए दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) से छोड़े गए पानी के प्रवाह को प्रतिबंधित और विनियमित करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) बांध के पानी के अतिप्रवाह, जिसके कारण पश्चिमी बंगाल राज्य में बाढ़ आई, के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): दामोदर घाटी जल प्रणाली "दामोदर घाटी जलाशय विनियमन समिति" नामक एक समिति द्वारा संचालित की जाती है जिसमें सभी संबंधित राज्य सदस्य होते हैं। निर्धारित मानदंडों/गाइड कर्व्स/डीवीआरआरसी मैनुअल के अनुसार बाढ़ संचालन/जल छोड़े जाने से संबंधित सभी निर्णय सभी हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके लिए जाते हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार भी शामिल है।

(ग): प्रश्न नहीं उठता है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 726

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

कावेरी नदी की सफाई और सौंदर्यीकरण

726. श्री एस. कल्याणसुन्दरम:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की कुंभकोणम से मयिलाडुतुरै तक कावेरी नदी की सफाई और सौंदर्यीकरण कोई योजना है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) कुंभकोणम में कावेरी नदी का टीडीएस स्तर कितना है और कावेरी नदी में प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (यूटी) और शहरी स्थानीय निकायों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे नदियों और अन्य जल निकायों में छोड़े जाने से पहले सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट का आवश्यक उपचार सुनिश्चित करें।

भारत सरकार ने गंगा बेसिन में नदियों/सहायक नदियों में प्रदूषण को कम करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम की केंद्रीय क्षेत्र योजना और देश की अन्य नदियों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को वित्तीय सहायता प्रदान करके समर्थन किया है।

एनआरसीपी के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से समय-समय पर विचारार्थ प्राप्त होने वाले प्रदूषण नियंत्रण कार्यों के प्रस्ताव को उनकी प्राथमिकता, एनआरसीपी दिशानिर्देशों के साथ संगति, स्वतंत्र मूल्यांकन, राज्यों की पूंजी व्यय में हिस्सेदारी वहन करने की प्रतिबद्धता, पूर्ण संचालन और रखरखाव लागत, योजना निधियों की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार, कुंभकोणम में कावेरी नदी में टीडीएस स्तर 322 - 332 मिलीग्राम प्रति लीटर के बीच पाया गया है। वार्षिक रिपोर्ट यहाँ देखी जा सकती है:-

https://tnpcb.gov.in/pdf/wq/AnnualRptNWMP2023.pdf

कावेरी नदी के संरक्षण के लिए, तमिलनाडु के कुंभकोणम में एनआरसीपी के अंतर्गत 17 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित किए गए थे।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 725

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

कर्नाटक में सिंचाई परियोजनाएं

725. श्री जी.सी. चन्द्रशेखर:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कर्नाटक राज्य में मेकेदातु, अपर भद्रा और येत्तिनाहोले सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अपर भद्रा परियोजना (यूबीपी) को राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना घोषित किया है और यदि हां, तो अब तक निर्धारित और जारी की गई निधि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मेकेदातु परियोजना के लिए वन विभाग से मंजूरी प्राप्त कर ली गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): मेकेदातु परियोजना पर कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) की दिनांक 01.02.2024 को आयोजित 28वीं बैठक में विचार-विमर्श किया गया और सीडब्ल्यूएमए के अधिकांश सदस्यों के विचारों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने इस परियोजना को केंद्रीय जल आयोग के पास विभिन्न तकनीकी/आर्थिक पहलुओं की जांच के लिए वापस भेजने का निर्णय लिया ताकि इसकी व्यवहार्यता का आंकलन किया जा सके। जहां तक अपर भद्रा परियोजना और येत्तिनाहोले परियोजना का संबंध है, इसे कर्नाटक सरकार की कंपनी, अर्थात् विश्वेश्वरैया जल निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख): सरकार द्वारा अपर भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित नहीं किया गया है।

(ग): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कर्नाटक की मेकेदातु परियोजना के संबंध में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के मद्देनजर स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 724

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

अपशिष्ट जल उपचार के बावजूद यमुना और अन्य नदियों का प्रदूषण

724. श्री संत बलबीर सिंह:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अपशिष्ट जल के उपचार के बावजूद यमुना जैसी नदियां प्रदूषित बनी हुई हैं;

(ख) क्या इन नदियों के लगातार प्रदूषण के अंतर्निहित कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि कई सीवेज ट्रीटमेंट पलांट (एसटीपी) आवश्यक मानकों के अनरूप काम नहीं कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप अपशिष्ट जल का पर्याप्त उपचार नहीं हो रहा है और नदी का पानी समुचित प्रकार से साफ नहीं हो पा रहा है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): नदियों में प्रदूषण के सामान्य अंतर्निहित कारण हैं;

i. उपचार क्षमता और सीवेज उत्पादन में अंतर के कारण नदियों में अनुपचारित/आंशिक रूप से उपचारित सीवेज का प्रवाह;

ii. कुछ उद्योगों/औद्योगिक क्षेत्रों में अपशिष्ट उपचार संयंत्रों/सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (सीईटीपी) का अभाव;

iii. नए सीवेज उपचार परियोजनाओं के पूरा होने और सीवेज उपचार परियोजनाओं के पुनरूद्धार और/या उन्नयन में विलंब।

(ग): सीपीसीबी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कार्यशील सीवरेज उपचार संयंत्रों की स्थिति निम्नानुसार है: -

एसपीसीबी/पीसीसी	**एसटीपी की संख्या**	**अनुपालन करने वाले एसटीपी की संख्या**
उत्तराखंड (अक्टूबर, 2024)	69	65
हिमाचल प्रदेश (जुलाई-अगस्त, 2024)	80	52
हरियाणा (अगस्त, 2024)	84	68
दिल्ली (नवंबर 2024)	39	16 (डीपीसीसी द्वारा निर्धारित मानकों के संदर्भ में)।
उत्तर प्रदेश (अक्टूबर, 2024)	148	124

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 723

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

पोलावरम परियोजना के कारण ओडिशा में जलमग्नता और निवासियों पर इसका प्रभाव

723. डा. सस्मित पात्रा:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पोलावरम परियोजना के चालू होने पर ओडिशा में जलमग्न होने वाले कुल भूमि क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त जलमग्नता से प्रभावित हुए लोगों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) उन लोगों में से आदिवासियों की संख्या कितनी है और उनकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है;

(घ) सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठा रही है कि जलमग्नता से पहले पल्ली सभाएं आयोजित करवाई जायें; और

(ङ) सरकार की किस प्रकार उनके पुनर्वास और पुनर्स्थापन की योजना है और इसके लिए कुल कितनी निधि का उपयोग किया जाएगा?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग): यदि ओडिशा द्वारा ईएल +150 फीट से अधिक ऊंची जमीन और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त जल निकासी व्यवस्था करते हुए सुरक्षात्मक तटबंध बनाने का विकल्प चुना जाता है तो ओडिशा में पोलावरम सिंचाई परियोजना के कारण कोई जलमग्नता नहीं होगी। हालांकि, यदि यह विकल्प नहीं चुना जाता है, तो सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, 2005 के अनुसार, ओडिशा में 648.05 हेक्टेयर क्षेत्र की भूमि प्रभावित होगी। इस मामले में, ओडिशा में परियोजना से प्रभावित परिवारों की कुल संख्या 1,002 होने का अनुमान है, जिसमें ओडिशा के मलकानगिरी जिले के

पोडिया मंडल के 8 राजस्व गांवों में रहने वाले 6,316 निवासी शामिल हैं। इनमें से 1,002 परिवारों में से 913 परिवार आदिवासी समुदाय से संबंध रखते हैं।

(घ): परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) अध्ययनों के आधार पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा 25 अक्टूबर, 2005 को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई थी। मार्च 2009 में, एमओईएफ एंड सीसी की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को तटबंध प्रस्ताव के संबंध में ओडिशा और छत्तीसगढ़ में उपयुक्त अधिकारियों से अनुरोध करके उचित कार्रवाई शुरू करने और ओडिशा और छत्तीसगढ़ में एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित रखते हुए समिति को वापस रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया था। जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी), आंध्र प्रदेश सरकार और पोलावरम परियोजना प्राधिकरण ने दोनों राज्यों से ईआईए अधिसूचना, 2006 और एमओईएफ एंड सीसी के निर्देशों के अनुसार अपने-अपने राज्यों के प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने के लिए बार-बार अनुरोध किया है, हालांकि, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में अभी तक सार्वजनिक सुनवाई नहीं हुई है।

(ङ): पोलावरम सिंचाई परियोजना का कार्य आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़) और ओडिशा राज्यों के बीच दिनांक 02.04.1980 को हुए अंतरराज्यीय समझौते के अनुसार संचालित किया जा रहा है और साथ ही गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण (जीडब्ल्यूडीटी) पुरस्कार, 1980 के प्रावधानों के अनुसार, ओडिशा या तो अपने क्षेत्रों में आरएल+150 फीट से ऊपर प्रभावित होने वाली भूमि और संपत्तियों की रक्षा के लिए पर्याप्त जल निकासी व्यवस्था के साथ सुरक्षात्मक तटबंधों का विकल्प चुन सकता है या परियोजना लागत पर +150 फीट से नीचे के समान पैटर्न पर प्रभावित होने वाले क्षेत्रों और संपत्तियों के लिए मुआवजे देने का (प्रभावित गांवों से विस्थापित लोगों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन) विकल्प चुन सकता है। इसके अलावा, ओडिशा के मलकानगिरी जिले में 30.20 किमी (सिलेरू नदी के साथ 12 किमी और सबरी नदी के साथ 18.20 किमी) की कुल लंबाई के लिए उपयुक्त जल निकासी व्यवस्था के साथ सुरक्षात्मक तटबंध के विनिर्माण का प्रावधान भी परियोजना में किया गया है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 722

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

खराब अपशिष्ट जल और सीवेज उपचार

722. श्री जावेद अली खान:

श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में उत्पन्न शहरी अपशिष्ट जल और सीवेज का केवल 28 प्रतिशत ही उपचारित होता है जबकि शेष 72 प्रतिशत सीधे जल निकायों में प्रवाहित हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) शहरी अपशिष्ट जल उपचार क्षमता का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिससे अनुपचारित 72 प्रतिशत अपशिष्ट जल को प्रभावी उपचार प्रणालियों के तहत लाया जाना सुनिश्चित किया जा सके और उक्त कार्य के लिए अनुमानित समयसीमा और वित्तीय परिव्यय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा प्रमुख और उभरते शहरी केंद्रों में वर्तमान में चालू, निर्माणाधीन या प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों (एसटीपी) की संख्या सहित शहरी अपशिष्ट जल उपचार अवसंरचना को बढ़ाने के लिए राज्य-वार क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): मार्च, 2021 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनुमानित 72,368 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) सीवेज उत्पादन होता है, जबकि क्षेत्रों के पास 31,841 एमएलडी की उपचार क्षमता उपलब्ध है। राज्य-वार सीवेज उत्पादन और शहरी केन्द्रों में उपचार क्षमता का ब्यौरा निम्नलिखित यूआरएल से प्राप्त किया जा सकता है:

https://cpcb.nic.in/openpdffile.php?
id=UmVwb3J0RmlsZXMvMTIyOF8xNjE1MTk2MzIyX21lZGlhcGhvdG85NTY0LnBk Zg==

(ग) और (घ): नदियों की सफाई/पुनरूद्धार एक सतत प्रक्रिया है। यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे नदियों और अन्य जल निकायों में डिस्चार्ज से पहले निर्धारित मानदंडों के अनुसार सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट का अपेक्षित उपचार सुनिश्चित करें।

सीपीसीबी ने जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/ प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) को दिनांक 21.04.2015 को निर्देश जारी किए थे कि वे अपने-अपने शहरों/कस्बों में सीवेज प्रबंधन के लिए स्थानीय अधिकारियों को निर्देश जारी करें और शहरी क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले सीवेज को एकत्रित करने, लाने-ले जाने और उपचार के लिए समयबद्ध कार्य योजना प्रस्तुत करें। सीपीसीबी ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत स्थानीय अधिकारियों को श्रेणी-I शहरों और श्रेणी-II शहरों में सीवेज प्रबंधन के लिए दिनांक 09.10.2015 को भी निर्देश जारी किए और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि निर्धारित मानक के अनुसार, केवल उपचारित अपशिष्ट जल का ही निर्वहन किया जाए।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने आदेश मूल आवेदन सं. 673/2018 जारी किया है, जिसमें एनजीटी ने निर्देश दिया था कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीपीसीबी द्वारा वर्ष 2018 में चिन्हित् किए गए देश में प्रदूषित नदी खंडों के संरक्षण के लिए कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। इन आदेशों के अनुपालन में राज्यों द्वारा अपनी कार्य योजना तैयार की गई है और उन्हें सक्षम प्राधिकरण द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार, निगरानी किए गए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्रीय स्तर पर उक्त कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई है। कार्य योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है: https://cpcb.nic.in/mcngt-restoration/

नदियों के संरक्षण के लिए, इस मंत्रालय द्वारा गंगा बेसिन में नदियों के लिए 'नमामि गंगे' की केंद्रीय क्षेत्र योजना और अन्य नदियों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) की केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से देश में नदियों के चिन्हित खंड़ों में प्रदूषण कम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में संपूरित किया जाता है। इसके अलावा अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशिन (अमृत) और आवासन एवं शहरी मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन जैसे कार्यक्रमों के तहत सीवरेज अवसंरचनाओं का विनिर्माण किया गया है।

अब तक, एनआरसीपी द्वारा देश के 17 राज्यों में फैले 100 शहरों में 57 नदियों की प्रदूषित खंड़ो को 8931.49 करोड़ रुपये की संस्वीकृत परियोजना लागत से कवर किया है और अन्य बातों के साथ-साथ 2941 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की सीवेज उपचार क्षमता का सृजन किया गया है।। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 6255 एमएलडी सीवर उपचार क्षमता के लिए 203 परियोजनाओं और 5,249 किलोमीटर के सीवर नेटवर्क बिछाए जाने से जुड़ी कुल 488 परियोजनाओं को 32,613 करोड़ रूपये की लागत से मंजूरी प्रदान की गई है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 720

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

भूजल की गुणवत्ता

720. श्री मोहम्मद नदीमुल हक:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2017 से 2023 तक भूजल में अत्यधिक नाइट्रेट वाले जिलों की संख्या में वृद्धि और प्रभावित जिलों के वर्तमान प्रतिशत का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सुरक्षित, कम-संकटपूर्ण, संकटपूर्ण और अत्यधिक दोहन वाले यथावर्गीकृत खंडों के प्रतिशत सहित देश भर में भूजल पुनर्भरण और निष्कर्षण स्तरों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा समय-समय पर तैयार की गई भूजल गुणवत्ता रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2017 से 2023 तक अलग-अलग क्षेत्रों में अनुमेय सीमा से अधिक नाइट्रेट की स्थानीय घटना की रिपोर्ट करने वाले जिलों की संख्या का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-**I** में दिया गया है।

(ख): प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के गतिशील भूजल संसाधनों का आकलन केंद्रीय भूमि जल बोर्ड और संबंधित राज्य नोडल/भूजल विभागों द्वारा संयुक्त रूप से वार्षिक आधार पर किया जा रहा है। "भारत के गतिशील भूजल संसाधनों का राष्ट्रीय संकलन, 2024" की रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 446.9 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) आकलित किया गया है। कुल वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन 406.19 बीसीएम आकलित किया गया है और सभी उद्देश्यों (जैसे घरेलू, औद्योगिक, कृषि उपयोग आदि) के लिए अनुमानित कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 245.64 बीसीएम है। भूजल निष्कर्षण का चरण (एसओई), जिसे पूरे देश के लिए वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन और वार्षिक भूजल निष्कर्षण के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, 60.47% पर पहुंच गया है।

इसके अलावा, देश में कुल 6746 मूल्यांकन इकाइयों (ब्लॉक/तालुका/मंडल) में से 4951 (73.39%) इकाइयों को "सुरक्षित", 711 इकाइयों (10.54%) को "अर्ध-गंभीर", 206 इकाइयों (3.05%) को "गंभीर", 751 इकाइयों (11.13%) को "अति-दोहित" और शेष 127 मूल्यांकन इकाइयों (1.88%) को "लवणीय" श्रेणी में रखा गया है।

*****

अनुलग्नक-I

"भूजल की गुणवत्ता" के संबंध में दिनांक 10.02.2025 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न 720 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वर्ष 2017 और 2023 के लिए भूजल में अनुमेय सीमा से अधिक नाइट्रेट की घटना की रिपोर्ट करने वाले जिलों की संख्या (राज्य-वार)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2023	वर्ष 2017
		पृथक क्षेत्रों में अनुमेय सीमा से अधिक नाइट्रेट की रिपोर्ट करने वाले जिलों की संख्या (>45 मिलीग्राम/लीटर)	पृथक क्षेत्रों में अनुमेय सीमा से अधिक नाइट्रेट की रिपोर्ट करने वाले जिलों की संख्या (>45 मिलीग्राम/लीटर)
1	आंध्र प्रदेश	26	13
2	बिहार	15	20
3	छत्तीसगढ़	20	0
4	दिल्ली	7	0
5	गोवा	0	2
6	गुजरात	23	30
7	हरियाणा	21	18
8	हिमाचल प्रदेश	6	1
9	जम्मू एवं कश्मीर	6	6
10	झारखंड	9	17
11	कर्नाटक	27	27
12	केरल	10	13
13	मध्य प्रदेश	39	48
14	महाराष्ट्र	32	32
15	ओडिशा	15	0
16	पुदुचेरी	1	0
17	पंजाब	20	17
18	राजस्थान	30	29
19	तमिलनाडु	31	20
20	तेलंगाना	32	10
21	त्रिपुरा	2	0
22	उत्तर प्रदेश	48	44
23	उत्तराखंड	5	0
24	पश्चिम बंगाल	18	12
	कुल योग	443	359

******

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 719

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

ओडिशा में नदियों को आपस में जोड़ना

719. श्री शुभाशीष खुंटिया:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ओडिशा में पानी की कमी को दूर करने और सिंचाई में सुधार के लिए नदियों को आपस में जोड़ने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में प्रस्तावित नदी जोड़ो परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अनुमानित लागत और समय-सीमा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं से संबंधित किन्हीं पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग): भारत सरकार ने वर्ष 1980 में अधिशेष बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जल स्थानांतरित करने के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की थी। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) को एनपीपी के तहत नदियों को जोड़ने (आईएलआर) का कार्य सौंपा गया है। एनपीपी के तहत तीस (30) आईएलआर परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ तीन (3) परियोजनाएं शामिल हैं, जिनका लाभ ओडिशा राज्य को भी मिलेगा। इन तीन (3) आईएलआर परियोजनाओं के लाभों का विवरण और उनकी अनुमानित लागत अनुलग्नक में दी गई है।

आईएलआर, परियोजनाओं के पूरा होने की समयसीमा/अनुसूची संबंधित आईएलआर परियोजनाओं के लिए संबंधित पक्षकार राज्यों के बीच आम सहमति पर पहुंचने तथा उनके कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर करने पर निर्भर करती है।

(घ): आईएलआर, परियोजनाओं से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक सरोकार, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए, विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन (ईआईए) एफआर और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी के चरण में किया जाता है। ईआईए अध्ययन का उद्देश्य परियोजना के भौतिक, पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक पर्यावरण पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की पहचान करना है। मिट्टी के प्रकार, जलवायु के प्रकार, भूजल गुणवत्ता, जैविक पर्यावरण, वनस्पति विविधता, वन और वन्यजीव, भूजल पुनर्भरण, नदी के जल विज्ञान व्यवस्था में परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलू, रोजगार की संभावना, परियोजना से प्रभावित परिवार, जलमग्न क्षेत्र आदि पर विस्तृत अध्ययन डीपीआर तैयार करने के चरण के साथ ही पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाता है ताकि मूल्यांकन किए गए प्रभावों को कम किया जा सके।

*****

अनुलग्नक

'ओडिशा में नदियों को आपस में जोड़ना' से संबंधित विषय पर राज्य सभा में दिनांक 10.02.2025 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 719 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के तहत ओडिशा में आईएलआर परियोजनाओं के लाभों का विवरण

क्र. सं.	नाम	लाभान्वित राज्य	वार्षिक सिंचाई (लाख हेक्टेयर)	घरेलू एवं औद्योगिक (मिलियन घन मीटर)	जल विद्युत (मेगा वाट)	अनुमानित लागत	स्थिति
1	क महानदी (मणिभद्र) - गोदावरी (दोलाईश्वरम) लिंक	आंध्र प्रदेश (एपी) और ओडिशा	4.43	802	445	-	एफआर पूर्ण
	ख वैकल्पिक महानदी (बारमुल) - रुशिकुल्या - गोदावरी (दौलीस्वरम) लिंक	एपी और ओडिशा	6.25 (0.91 + 3.52 + 1.82*)	700 +125*	210 + 240*	2018-19 मूल्य स्तर (पीएल) पर 54019 करोड़ रुपये	एफआर पूर्ण
2.	गंगा (फरक्का) - दामोदर-सुवर्णरेखा लिंक	पश्चिम बंगाल (डब्ल्यूबी), ओडिशा और झारखंड	12.30 (11.18+ 0.39+ 0.73)	432	--	2019-20 पीएल पर 87166.01 करोड़ रुपये	एफआर पूर्ण
3.	सुवर्णरेखा-महानदी लिंक	डब्ल्यूबी और ओडिशा	2.16 (0.18+ 1.98)	198	20	2019-20 पीएल पर 28644 करोड़ रुपये	एफआर पूर्ण

* ओडिशा सरकार की 6 परियोजनाओं से ओडिशा को लाभ प्राप्त होगा, जिन्हें महानदी (बरमुल)-गोदावरी (दौलईस्वरम) लिंक परियोजना से एकीकृत किया जाएगा।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 716

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

एनएमसीजी की उपलब्धि

716. श्री कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) की शुरुआत के बाद से इसके अन्तर्गत संस्वीकृत परियोनाओं, उनके पूर्ण होने की स्थिति और उनकी उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, पानी की गुणवत्ता और जैव-विवधता में सुधार लाने में एनएमसीजी का क्या योगदान है;

(ग) नागरिकों के बीच एनएमसीजी के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नदियों के पुनरुद्धार हेतु वैश्विक स्तर पर प्रचलित सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाने और एनएमसीजी के लिए वित्त पोषण और तकनीकी विशेषज्ञता की व्यवस्था करने के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय सहकार्यता स्थापित की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत और पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं की स्थिति की राज्यवार सूची, अनुलग्नक में दी गई है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) का योगदान और उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

1. प्रदूषित नदी क्षेत्रों के उपचार के लिए 32,613 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 203 सीवरेज अवसंरचना परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनकी उपचार क्षमता 6,255 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) है। 3,446 एमएलडी क्षमता वाली 127 एसटीपी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और चालू हो गई हैं;

2. औद्योगिक प्रदूषण में कमी लाने के लिए, 3 सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी) मंजूर किए गए हैं, अर्थात् जाजमऊ सीईटीपी (20 एमएलडी), बंथर सीईटीपी (4.5 एमएलडी) और मथुरा

सीईटीपी (6.25 एमएलडी)। दो परियोजनाएं, मथुरा सीईटीपी (6.25 एमएलडी) और जाजमऊ सीईटीपी (20 एमएलडी) पूरी हो चुकी हैं;

3. गंभीर प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) का वार्षिक निरीक्षण: जीपीआई का निरीक्षण वर्ष 2017 में शुरू हुआ। 2024 में, निरीक्षण के 7 वें दौर में 4246 गंभीर प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) की सूची बनाई गई है। अभी तक निरीक्षण किए गए 3,106 जीपीआई में से 1,819 जीपीआई अनुपालन कर रहे हैं, 692 अनुपालन नहीं कर रहे हैं, 385 जीपीआई अस्थायी रूप से बंद हैं और 210 जीपीआई स्थायी रूप से बंद हैं। गैर-अनुपालन वाले (692 जीपीआई) में से, 17 जीपीआई को बंद करने का नोटिस जारी किया गया है और 675 जीपीआई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप 2017 में बीओडी भार 26 टन प्रति दिन (टीपीडी) से घटकर 2022 में 13.73 टीपीडी हो गया है, और 2017 में 349 एमएलडी से 2022 में 249.31 एमएलडी तक अपशिष्ट प्रवाह में लगभग 28.6% की कमी आई है;

4. गंगा और यमुना नदी पर नदी के पानी की गुणवत्ता, सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) की कार्य-निष्पादकता आदि की निरंतर निगरानी के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड "प्रयाग" चालू किया गया है;

5. गंगा नदी के किनारे बसे पांच राज्यों में 4,507 चिन्हित गांवों में स्वतंत्र घरेलू शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है। गंगा के किनारे बसे इन सभी गांवों को अब खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा, अभी तक 3,679 गंगा गांवों को ओडीएफ स्थिरता (ओडीएफ प्लस) घोषित किया गया है;

6. कुल 139 जिला गंगा समितियां (डीजीसी) गठित की गयी है जो नियमित रूप से 4एम (मंथली, मेन्डेटेड, मिनटेड और मॉनिटर्ड) बैठकें आयोजित करता है। दिसंबर 2024 तक, 3,748 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं;

7. एनएमसीजी ने अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर चयनित डीजीसी के समन्वय से रामगंगा बेसिन के 4 जिलों अर्थात उत्तराखंड में उधम सिंह नगर, उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर, मुरादाबाद और बरेली के लिए जिला गंगा योजनाएं तैयार की हैं, जिसमें भारत-यूरोपीय संघ जल साझेदारी (आईईडब्ल्यूपी) के तहत तकनीकी सहायता से एनएमसीजी द्वारा विकसित एक सामान्य पद्धति और नदी बेसिन प्रबंधन ढांचे का उपयोग किया गया है;

8. जैव विविधता संरक्षण: उत्तर प्रदेश के सात जिलों (मिर्जापुर, बुलन्दशहर, हापुड, बदायूँ, अयोध्या, बिजनौर और प्रतापगढ़) में सात जैव विविधता पार्क और उत्तर प्रदेश (3), बिहार (1) और झारखंड (1) में 5 प्राथमिकृत आर्द्रभूमि स्वीकृत की गई हैं;

9. एनएमसीजी ने राज्य वन विभाग के माध्यम से, गंगा नदी के मुख्य भाग पर वानिकी कार्यकलाप परियोजना लागू की है। लगभग 398 करोड़ रुपये की लागत से 33,024 हेक्टेयर क्षेत्र में वनरोपण का कार्य किया गया है;

10. मत्स्य जैव विविधता और शिकार आधार को संरक्षित करने और केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीआईएफआरआई) द्वारा कार्यान्वित विशेष परियोजना के तहत गंगा बेसिन में मछुआरों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2017 से कुल 143.8 लाख भारतीय मेजर कार्प (आईएमसी) फिंगरलिंग को गंगा में पाला गया है।

11. डॉल्फिन, ऊदबिलाव, हिल्सा, कछुए और घड़ियाल जैसी जलीय प्रजातियों के लिए विज्ञान आधारित प्रजाति उद्धार कार्यक्रम, बचाव और पुनर्वास कार्यक्रम के कारण डॉल्फिन, ऊदबिलाव, हिल्सा, कछुए और अन्य नदी प्रजातियों की बढ़ती संख्या के साथ जैव विविधता में उल्लेखनीय सुधार दिखायी दिया है;

12. "गंगा ज्ञान पोर्टल" राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विकसित एक अग्रणी पहल है, जो जल संसाधन प्रबंधन पर व्यापक संसाधनों के लिए एक केंद्रीकृत भंडार के रूप में कार्य करता है। यह प्लेटफ़ॉर्म छात्रों, शोध विद्वानों, हितधारकों और आम जनता के लिए पत्रिकाओं, प्रकाशनों, पुस्तकों, तकनीकी लेखों, शोध रिपोर्टों; डेटा सेट (जिला नदी मानचित्र, एसटीपी प्रदर्शन और नदी एटलस) और कॉफी टेबल पुस्तकों सहित सामग्री की एक विशाल श्रृंखला (716 दस्तावेज़) तक पहुँच को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाया गया है। जल संसाधन चुनौतियों की पेचीदगियों पर ध्यान केंद्रित करके, गंगा ज्ञान पोर्टल का उद्देश्य इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाना और सुविज्ञ निर्णय लेने को बढ़ावा देना है;

13. गंगा टास्क फोर्स (जीटीएफ) की स्थापना एनएमसीजी को उसके निर्धारित कार्यों को पूरा करने में सहायता करने के लिए की गई थी, जैसे (क) मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए वृक्षारोपण; (ख) जन जागरूकता/भागीदारी अभियानों का प्रबंधन; (ग) जैव विविधता संरक्षण के लिए संवेदनशील नदी क्षेत्रों की गश्त; (घ) घाटों की गश्त, आदि;

14. गंगा दूत (संख्या 45,000), गंगा प्रहरी (संख्या 2,900) और गंगा मित्र (संख्या 700) का एक दल जन भागीदारी गतिविधियों में शामिल है;

15. गंगा नदी की सफाई और संरक्षण के प्रयासों में जनता के बीच जिम्मेदारी और सहभागिता की भावना उत्पन्न करने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। इनमें शामिल हैं - गंगा उत्सव, नदी उत्सव, नियमित सफाई अभियान और वृक्षारोपण अभियान, घाट पर योग, गंगा आरती आदि। इन प्रयासों को गंगा रक्षकों, जैसे गंगा प्रहरी, गंगा विचार मंच, गंगा दूत आदि के समर्पित कैडरों द्वारा भी समर्थन दिया जाता है।

(ग): एनएमसीजी, शैक्षणिक संस्थानों, स्वयंसेवी समूहों, साझेदार संगठनों और जिला गंगा समितियों आदि के सहयोग से निरंतर स्वच्छता अभियान और जागरूकता अभियान चला रहा है ताकि घाटों और नदी तटों के पास रहने वाले समुदायों को नदियों पर प्रदूषण के प्रभाव के बारे में जागरूक और शिक्षित किया जा सके, जिससे लोग जल प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण के अनुकूलित तरीकों को अपनाए जाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। नागरिकों को एनएमसीजी की पहल और नदियों के कायाकल्प में इसकी भूमिका के बारे में जागरूक करने के लिए नियमित रूप से विभिन्न जागरूकता और जन जुटाव अभियान चलाए जाते हैं। जल संरक्षण, नदी कायाकल्प, पारिस्थितिकी और पर्यावरण और अन्य संबंधित मुद्दों पर लोगों/समुदायों को संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला गया है। ये गतिविधियाँ समुदायों के बीच संदेश फैलाने के लिए स्कूली छात्रों और युवा समूहों की सक्रिय भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करती हैं। सोशल मीडिया समय-समय पर लोगों तक पहुंच बढ़ाने और जानकारी पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(घ) और (ङ): भारत सरकार द्वारा नदी पुनरुद्धार में वैश्विक सर्वोत्तम तरीकों और एनएमसीजी में तकनीकी विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किए गए हैं:

i. डेनमार्क : जल संसाधन विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में व्यापक आधार वाली रूपरेखा के रूप में भारत सरकार और डेनमार्क सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, ताकि जीवन-यापन, लचीलापन और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इस सहयोग के तहत, आईआईटी-बीएचयू में एक स्वच्छ नदी संबंधी स्मार्ट प्रयोगशाला (एसएलसीआर) की स्थापना की गई।
ii. जर्मनी: गंगा नदी के जल की निगरानी के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी अवसंरचना को मजबूत करने हेतु गंगा पुनरुद्धार (एसजीआर) परियोजना को समर्थन प्रदान करने के लिए भारत सरकार और जर्मनी सरकार के बीच तकनीकी सहयोग के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

*****

अनुलग्नक

"एनएमसीजी की उपलब्धि" के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 716, जिसका उत्तर दिनांक 10.02.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के संबंध में उल्लिखित अनुलग्नक।

स्वीकृत एवं पूर्ण की गई परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	शुरू की गई परियोजनाएं	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण की गई परियोजनाओं की संख्या
उत्तराखंड			
1.	प्रदूषण निवारण	42	36
2.	घाट और श्मशान	21	13
3.	वनीकरण	7	6
4.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	3	1
5.	जैव विविधता, जैव उपचार, औद्योगिक प्रदूषण, अनुसंधान एवं विकास तथा अन्य	14	4
उत्तर प्रदेश			
6.	प्रदूषण निवारण	73	46
7.	घाट और श्मशान	25	21
8.	वनीकरण	8	7
9.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	4	4
10.	समग्र पारिस्थितिकी कार्य बल और गंगा मित्र	6	5
11.	जैव विविधता, जैव उपचार, औद्योगिक प्रदूषण, अनुसंधान एवं विकास तथा अन्य	42	16
बिहार			
12.	प्रदूषण निवारण	38	18
13.	घाट और श्मशान	20	15
14.	वनीकरण	7	6
15.	जैव उपचार, औद्योगिक प्रदूषण, अनुसंधान एवं विकास तथा अन्य	4	2
झारखंड			
16.	प्रदूषण निवारण	5	2
17.	घाट और श्मशान	4	4

18.	वनीकरण	7	6
19.	औद्योगिक प्रदूषण, अनुसंधान एवं विकास तथा अन्य	3	1
पश्चिम बंगाल			
20.	प्रदूषण निवारण	29	14
21.	घाट और श्मशान	33	29
22.	वनीकरण	7	6
23.	जैव विविधता, जैव उपचार, औद्योगिक प्रदूषण, अनुसंधान एवं विकास तथा अन्य	5	3
दिल्ली			
24.	प्रदूषण निवारण	9	8
25.	औद्योगिक प्रदूषण, अनुसंधान एवं विकास तथा अन्य	5	1
हरियाणा			
26.	प्रदूषण निवारण	2	2
27.	जैव उपचार, औद्योगिक प्रदूषण और अन्य	2	1
हिमाचल प्रदेश			
28.	प्रदूषण निवारण	1	1
29.	घाट और श्मशान	1	-
राजस्थान			
30.	प्रदूषण निवारण	1	-
मध्य प्रदेश			
31.	प्रदूषण निवारण	3	-
32.	घाट और श्मशान	4	-
अन्य परियोजनाएं			
33.	औद्योगिक प्रदूषण, अनुसंधान एवं विकास, स्वच्छता एवं अन्य	53	27
कुल		488	305

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 715

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

देश में भूजल संदूषण और प्रबंधन

715. श्रीमती रंजीत रंजन:

श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान भूजल में नाइट्रेट के स्तर संबंधी जिला-वार आंकड़े क्या हैं;

(ख) उर्वरकों के उपयोग और पानी की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव सहित कृषि संबंधी गतिविधियों से होने वाले नाइट्रेट संदूषण को कम करने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्य स्त्रोतों से होने वाले संदूषण को कम करने के लिए, विशेष रूप से राजस्थान, पंजाब और कर्नाटक जैसे गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों में, क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) जल स्तर मापने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग और वर्ष 2027 तक नेटवर्क को 40,000 कुओं तक बढ़ाने के अपेक्षित परिणामों सहित भूजल निगरानी नेटवर्क के विस्तार में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अत्यधिक दोहन हो चुके क्षेत्रों में भूजल दोहन को संतुलित करने के लिए सरकार की क्या कार्यनीति है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) अपने भूजल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम और विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के तहत प्रति वर्ष क्षेत्रीय स्तर पर भूजल गुणवत्ता डेटा तैयार करता है। वर्ष 2019 और 2023 के लिए दर्ज किए गए भूजल नमूनों में नाइट्रेट के स्तर का जिलेवार डेटा निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:https://cgwb.gov.in/sites/default/files/inline-files/percentage_of_samples_nitrate_morethan_permissible_limits_all_states_2023_2019.pdf

(ख): सरकार देश में सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है, जिसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को हतोत्साहित करना और जैविक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। सरकार वर्ष 2014-15 से राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन की मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता पर राष्ट्रीय परियोजना के तहत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजनाओं को लागू कर रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी मृदा की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है, साथ ही मृदा स्वास्थ्य और इसकी उत्पादकता में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित मात्रा पर सिफारिशें भी करता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) की सिफारिशों के आधार पर, जैविक खादों और जैव-उर्वरकों के साथ द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अब तक देश भर में 93781 किसान प्रशिक्षण और 7425 किसान मेले/अभियान आयोजित किए गए हैं।

इसके अलावा, सरकार परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) कार्यक्रम के माध्यम से 2019-2020 से प्राकृतिक कृषि को भी बढ़ावा दे रही है। यह योजना मुख्य रूप से सभी सिंथेटिक रासायनिक इनपुट के बहिष्कार पर जोर देती है और बायोमास मल्चिंग, गाय के गोबर-मूत्र फॉर्मूलेशन और अन्य पौधों पर आधारित तैयारियों पर प्रमुख जोर देते हुए ऑन-फार्म बायोमास रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देती है।

(ग): जल राज्य का विषय है और भूजल की गुणवत्ता में सुधार लाने और प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए पहल सहित भूजल प्रबंधन की जिम्मेदारी, मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। हालाँकि, इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जैसे कि नियमित गुणवत्ता निगरानी और सीजीडब्ल्यूबी द्वारा राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ डेटा साझा करना, आर्सेनिक और फ्लोराइड सुरक्षित कुओं का निर्माण और प्रौद्योगिकी का प्रसार, जल (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 को सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा जल में प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए लागू करना आदि।

लेकिन देश की सम्पूर्ण आबादी को दूषित जल के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए सरकार द्वारा जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के कार्यान्वयन के माध्यम से एक व्यापक पहल की गई है। जेजेएम अगस्त 2019 से राजस्थान, पंजाब और कर्नाटक राज्य सहित पूरे देश में संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नियमित और दीर्घकालिक आधार पर

पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता वाला पीने योग्य नल का जल आपूर्ति का प्रावधान करना है। जेजेएम के तहत, भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानकों को जल आपूर्ति सेवा में उपयोग किए जाने वाले नलों की गुणवत्ता के निर्धारित मानदंडों के रूप में अपनाया गया है और जेजेएम दिशानिर्देश यह भी निर्धारित करते हैं कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धन आवंटित करते समय, रासायनिक प्रदूषकों से प्रभावित बस्तियों में रहने वाली आबादी को 10% वेटेज दिया जाता है।

(घ): रियल टाइम आधार पर भूजल के हाई फ्रिक्वेंसी डेटा के महत्व को समझते हुए, इस मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं जैसे भूजल प्रबंधन और विनियमन (जीडब्ल्यूएम एंड आर) योजना, अटल भूजल योजना आदि के तहत पूरे देश में टेलीमेट्री सिस्टम के साथ डिजिटल जल स्तर रिकॉर्डर (डीडब्ल्यूएलआर) स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) के तहत उक्त गतिविधि को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को भी वित्त पोषित किया जाता है। अब तक, उपरोक्त योजनाओं के तहत देश भर में लगभग 24,000 डीडब्ल्यूएलआर स्थापित किए जा चुके हैं। इन उपकरणों से जल स्तर डेटा को सीधे फील्ड से सेंट्रल सर्वर तक उच्च आवृत्ति पर अंतरित किया जाता है जो इस डेटा को लगभग रियल टाइम के आसपास रखता है।

(ङ): जैसा कि पहले बताया गया है, जल राज्य का विषय है इसलिए भूजल संसाधनों का सतत विकास और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। हालांकि, केंद्र सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को सुगम बनाती है। इस दिशा में, जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा देश में भूजल संसाधनों के सतत विकास के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम, जिनमें जल संकट वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है, निम्नानुसार है:-

i. सरकार वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेसए) लागू कर रही है जो वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए एक मिशन मोड और समयबद्ध कार्यक्रम है। इस समय देश में जेसए 2024 को देश के 151 जल संकटग्रस्त जिलों पर विशेष ध्यान देने के साथ लागू किया जा रहा है। जेसए एक अम्ब्रैला अभियान है जिसके तहत

विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण से भूजल पुनर्भरण और संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं।

ii. सीजीडब्ल्यूबी ने जलभृतों की स्थिति और उनके विशिष्टीकरण की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (एनएक्यूयूआईएम) शुरू किया है। इस योजना के तहत देश के लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर मानचित्रण योग्य क्षेत्र का मानचित्रण किया गया है और कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ प्रबंधन योजनाएँ साझा की गई हैं।

iii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा पूरे देश के लिए भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्टर प्लान- 2020 तैयार किया गया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है, जिसमें 185 बीसीएम (बिलियन क्यूबिक मीटर) का उपयोग करने के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान की गई है।

iv. जल शक्ति मंत्रालय, अटल भूजल योजना को क्रियान्वित कर रहा है, जो 7 राज्यों के 80 जल संकटग्रस्त जिलों में भूजल के मांग पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए सहभागी भूजल प्रबंधन के लिए समुदाय के नेतृत्व वाली योजना है।

v. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू), भारत सरकार वर्ष 2015-16 से देश में प्रति बूंद अधिक फसल योजना को लागू कर रही है, जो उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई और बेहतर कृषि क्षेत्र जल प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है।

vi. भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर आरम्भ किया गया जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और संरक्षण करना था। इसके परिणामस्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवरों का निर्माण/संरक्षण किया गया है।

vii. देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है। देश में भूजल के दोहन और उपयोग को सीजीडब्ल्यूए द्वारा 24.09.2020 के अपने दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करके विनियमित किया जाता है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 714

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

महाराष्ट्र में नदी प्रदूषण

714. डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में सबसे अधिक प्रदूषित नदी के भाग महाराष्ट्र राज्य में हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त निष्कर्षों की सटीकता की पुष्टि करने और जल की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस नदियों के भागों में पाए गए विशिष्ट प्रदूषक और उनके स्त्रोत क्या हैं; और

(घ) उक्त मुद्दे की निगरानी और समाधान में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल और केन्द्रीय सरकार की क्या भूमिका है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी पिछली रिपोर्ट में, जो नवंबर 2022 में प्रकाशित हुई थी, महाराष्ट्र में 55 नदियों के 55 प्रदूषित नदी खंडों को चिह्नित किया है।

(ख): भारत में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल गुणवत्ता प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वोच्च निकाय है। इससे राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/ समिति की सहायता से देश भर में जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क स्थापित किया है जिससे जल संसाधनों की जल गुणवत्ता स्थिति का आकलन किया जा सके।

(ग): देश की नदियां मुख्य रूप से शहरों/कस्बों में बहने वाले अशोधित और आंशिक रूप से शोधित सीवेज और उनके संबंधित जलग्रहण क्षेत्रों में औद्योगिक अपशिष्ट के बहने के कारण प्रदूषित और संदूषित होती हैं। प्रदूषण के गैर-बिंदु स्रोत जैसे कटाव, प्रदूषण का बहना और चट्टानों की गाद, मृदा, खेती का बह जाना, खुले में शौच और ठोस अपशिष्ट डंपिंग स्थलों आदि के कारण भी नदियां प्रदूषित होती हैं।

(घ): पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और जल (जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अनुसार, औद्योगिक यूनिटों और स्थानीय निकायों को क्रमशः बहिस्राव शोधन संयंत्र (एफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट्स)/सामान्य बहिस्राव शोधन संयंत्र (कॉमन एफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट्स) और सीवेज शोधन संयंत्र (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स) स्थापित करना और अपने बहिस्राव/सीवेज का शोधन करना अपेक्षित होता है जिससे कि नदी और जल निकायों में अपशिष्टों को बहाए जाने से पहले, निर्धारित पर्यावरण मानकों का अनुपालन किया जा सके।

इस प्रकार, उद्योगों के अपशिष्टों को बहाए जाने वाले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां मानकों की निगरानी करते हैं और इन अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन न किए जाने पर वे दंडात्मक कार्रवाई करते हैं।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी वकास और गंगा संरक्षण वभाग

राज्य सभा

अतारां कत प्रश्न संख्या **711**

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

झारखंड में संचाई के लए जल स्त्रोतों का पुनरुद्धार करना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना

711. श्री आदित्य प्रसाद:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या झारखंड में संचाई नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कोई वशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) यदी हां, तो इन योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) झारखंड राज्य में संचाई के लए जल स्त्रोतों का पुनरुद्धार करने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लए सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): इस योजना के अंतर्गत, सुबर्नरेखा नदी बे सन के एकीकृत जल संसाधन वकास के हेतु प्रधान मंत्री कृ ष संचाई योजना-त्वरित संचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी), सुबर्नरेखा बहुउद्देशीय परियोजना का कार्यान्वयन झारखंड, ओ डशा और पश्चिम बंगाल में संचाई, औद्यो गक और घरेलू जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण और जल वद्युत जैसे लाभ प्रदान करने के लए कया जा रहा है। झारखंड में परियोजना की चरम संचाई क्षमता 2,36,846 हेक्टेयर है, जिसमें से अब तक 1,42,900 हेक्टेयर की संचाई क्षमता सृजित की जा चुकी है।

इसके अलावा, केंद्रीय सहायता के साथ कार्यान्वित की जाने वाली उत्तर कोयल जलाशय परियोजना झारखंड और बिहार के बीच एक अंतरराज्यीय वृहत संचाई परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य मौजूदा संचाई सु वधाओं को 15,000 हेक्टेयर से 18,500 हेक्टेयर भू म तक बढ़ाना है। अब तक इस परियोजना के कुल 20% कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

(ग): प्रति बूँद अ धक फसल (पीडीएमसी) योजना के तहत, भारत सरकार द्वारा कृ ष क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से एकसूक्ष्म संचाई पर केंद्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें ड्रप और स्प्रिंकलर संचाई तकनीकों जैसी उपयुक्त तकनीकी कार्यकलापों को बढ़ावा दिया गया है और कसानों को जल बचत और संरक्षण तकनीकों का उपयोग करने के लए प्रोत्साहित कया गया है। इस योजना के तहत झारखंड में वर्ष 2015-16 से अब तक सूक्ष्म संचाई के माध्यम से जल संरक्षण के तहत कुल 43,094 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर कया गया है। केंद्रीय भू म जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा झारखंड सहित लगभग 25 लाख वर्ग कमी के पूरे मान चत्रण योग्य क्षेत्र में एक राष्ट्रीय जलभृत मान चत्रण (एनएक्यूयूआईएम) परियोजना पूरी कर ली गई है। सीजीडब्ल्यूबी ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श से जल के कृत्रिम पुनर्भरण के माध्यम से जल संरक्षण हेतु एक मास्टर प्लान तैयार कया है, जो अनुमानित लागत सहित देश की व भन्न भूभागीय स्थितियों के लए व भन्न संरचनाओं को इं गत करने वाली एक मैक्रो स्तर की योजना है। इस मास्टर प्लान में देश में झारखंड में 5.9 लाख संरचनाओं सहित लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का वनिर्माण करने की योजना है ता क 185 म लयन क्यूबिक मीटर मानसून वर्षा जल का उपयोग कया जा सके।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 710

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

झारखंड में गंगा तट वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत की गई प्रगति

710. श्रीमती महुआ माजी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) झारखंड राज्य में गंगा तट वृक्षारोपण अभियान (2016-21) के अंतर्गत की गई प्रगति, कवर क्षेत्र, आवंटित धनराशि और व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) 347 करोड़ रुपये में से झारखंड को/द्वारा कितनी धनराशि आवंटित/उपयोग की गई और धनराशि के कुशल उपयोग और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या उपाय किए गए;

(ग) राज्य में वृक्षारोपण का भूजल पुनर्भरण करने और कटाव को रोकने पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) अभियान की सफलता को बढ़ाने और संधारणीय परिणामों के लिए स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) गंगा के प्रवाह में परिवर्तन से प्रभावित झारखंड के क्षेत्रों की पहचान करने और उसका समाधान करने की क्या योजना है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): झारखंड (केवल साहिबगंज जिला) में वर्ष 2016-17 से नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत, कुल 884 हेक्टेयर वृक्षारोपण किया गया है जिसके लिए एनएमसीजी द्वारा राज्य वन विभाग, झारखंड को 27.81 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई हैं।

(ग): आईआईएफएम भोपाल के माध्यम से वर्ष 2021-2022 के दौरान झारखंड के साहिबगंज जिले में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत किए गए वृक्षारोपण का मध्यावधि मूल्यांकन किया गया था। मूल्यांकन अध्ययन से पता चलता है कि झारखंड के साहिबगंज वन प्रभाग में पौधों के

समग्र जीवित रहने का प्रतिशत और वृद्धि संतोषजनक पाई गई। झारखंड के साहिबगंज जिले में भूजल पुनर्भरण और मिट्टी के कटाव पर वृक्षारोपण के प्रभाव को देखने के लिए कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है।

(घ): वृक्षारोपण अभियान की सफलता बढ़ाने और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से स्थायी परिणाम सुनिश्चित करने के लिए, कई रणनीतिक उपाय लागू किए गए हैं:

- गंगा दूत और गंगा प्रहरी: स्थानीय स्वयंसेवक वृक्षारोपण अभियान और संरक्षण प्रयासों में लगे हुए हैं।
- स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों, नागरिक समाज के सदस्यों और जिला गंगा समिति के सदस्यों की भागीदारी से वृक्षारोपण अभियान चलाया गया
- स्कूल-आधारित पहल: "एक पेड़ माँ के नाम" जैसे कार्यक्रम चलाए गए
- सार्वजनिक-निजी सहयोग: सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और निजी संस्थाओं के संयुक्त प्रयासों ने बेहतर संसाधन आवंटन और दक्षता सुनिश्चित की।

(ङ): जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा चुनिंदा हिस्सों में गंगा पद्मा नदी द्वारा उत्पन्न कटाव के खतरे से निपटने हेतु एक एकीकृत योजना के लिए एक संयुक्त विस्तृत तकनीकी अध्ययन करने के लिए पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड राज्य सरकार और संबंधित केंद्र सरकार के विभागों के सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया गया है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 709

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

उत्तर प्रदेश में भू-जल स्तर

709. डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य के कई जिलों में भूजल स्तर में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में भू-जल स्तर का जिला-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में भू-जल स्तर को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और कौन-सी विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं;

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य में इस कार्य में लगी विभिन्न एजेंसियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य में इस प्रयोजन के लिए कितना व्यय किया गया है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में अपने मानीटरिंग स्टेशनों के नेटवर्क के माध्यम से प्रत्येक वर्ष में चार बार भूजल स्तर की मॉनिटरिंग की जाती है। पिछले 5 वर्षों के जल स्तर आंकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश में इस अवधि के दौरान 0-10 एमबीजीएल (मीटर भूतल से नीचे) के भीतर भूजल स्तर दर्ज करने वाले कूपों का प्रतिशत निरंतर 80% से ऊपर रहा है, जो भूजल की सुलभ उपलब्धता को दर्शाता है।

(ख): उत्तर प्रदेश के संबंध में पिछले पांच वर्षों (2020-2024) की अवधि के लिए मापे गए जिलेवार भूजल स्तर का विवरण निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है-

https://jalshakti-dowr.gov.in/document/the-district-wise-groundwater-level-data-for-uttar-pradesh-recorded-over-the-past-five-years-2020-2024/

(ग): जल राज्य का विषय है। भूजल से संबंधित मुद्दों के समाधान का दायित्व मुख्यत संबंधित राज्य सरकारों का है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान किया जाता है। इस दिशा में, देश में भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं: –

i. सरकार द्वारा वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है जो वर्षा संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए मिशन मोड और समयबद्ध कार्यक्रम है। वर्तमान में, देश में जेएसए 2024 का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 10 जिलों सहित देश के 151 जल की कमी वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जेएसए एक अम्ब्रेला अभियान है जिसके तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण में विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार, जेएसए के तहत पिछले 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश में लगभग 13.53 लाख जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया है।

ii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा जलभृत्त अवस्थिति और उनके विशिष्टीकरण की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जलभृत्त मैपिंग और प्रबंधन कार्यक्रम (नैक्यूम) आरंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश के 2.40 लाख वर्ग किमी सहित देश के कुल मैपिंग योग्य लगभग 25 लाख वर्ग किमी के क्षेत्र को इस योजना के तहत शामिल किया गया है और प्रबंधन योजनाओं को कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य/जिला प्रशासन के साथ साझा किया गया है।

iii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा हरियाणा सहित पूरे देश के लिए भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्टर प्लान- 2020 को तैयार किया गया है और इसे राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है, जिसमें 185 बीसीएम (बिलियन क्यूबिक मीटर) जल के संरक्षण के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार की गई है। इस मास्टरप्लान में उत्तर प्रदेश के लिए लगभग 23 हजार संरचनाओं के निर्माण की सिफारिश की गई है।

iv. कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एवं एफडब्ल्यू), भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से उत्तर प्रदेश सहित देश में प्रति बूंद अधिक फसल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जो उपलब्ध जल संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए सूक्ष्म सिंचाई और बेहतर ऑन-फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है।

v. भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर योजना का आरंभ किया गया था जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश सहित देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना था। इसके परिणामस्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण / पुनरुद्धार किया गया है, जिनमें से 16,630 उत्तर प्रदेश में हैं।

vi. मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के विकास के विनियमन हेतु उपयुक्त कानून के अधिनियमन के लिए एक मॉडल बिल परिचालित किया गया है जिसमें वर्षा जल संचयन का प्रावधान भी शामिल है। अब तक उत्तर प्रदेश सहित 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूजल कानून को अपनाया गया और इसका कार्यान्वयन किया गया है।

vii. देश में भूजल की स्थिति में संवर्धन के लिए भारत सरकार द्वारा की कई अन्य महत्वपूर्ण पहलों का विवरण निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

https://jalshakti-dowr.gov.in/document/steps-taken-by-the-central-government-to-control-water-depletion-and-promote-rain-water-harvesting-conservation/

viii. इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2019 से उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम-2019 अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकारी/अर्ध-सरकारी भवनों तथा 300 वर्ग मीटर या इससे अधिक के प्लाट क्षेत्र वाले भवनों को अपने परिसर में भूजल का दोहन करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए वर्षा जल संचयन संरचनाओं की संस्थापना को अनिवार्य बना दिया गया है। इस प्रकार अब तक भूजल विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा सरकारी भवनों में लगभग 2.86 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में छत के वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया है।

(घ): भूजल विभाग, उत्तर प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार, विभिन्न एजेंसियां जैसे भूजल विभाग, लघु सिंचाई विभाग, पंचायती राज विभाग आदि द्वारा पूरे राज्य में जल संरक्षण कार्य किया जा रहा है।

(ङ): भूजल विभाग, उत्तर प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार, जल शक्ति अभियान के तहत वर्ष 2019 से अब तक राज्य में विभिन्न कृत्रिम पुनर्भरण और अन्य जल संरक्षण कार्यों के निर्माण / पुनरुद्धार / बहाली पर कुल 11,822 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 708

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

जल निकायों की गणना

708. श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में जल निकायों की गणना करवाई है;

(ख) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश राज्य में लगभग 91,000 जल निकाय है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि लगभग 4,000 जल निकायों पर अतिक्रमण कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार किस प्रकार राज्य सरकार को स्थानीय आबादी के सामाजिक-आर्थिक विकास और संधारणीय जल सुरक्षा के लिए जल निकायों के महत्व बारे में जागरूक कर रही है और उनसे अतिक्रमण हटा रही है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): जी हां। जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2017-18 के संदर्भ में 100% केंद्रीय सहायता के साथ केंद्र प्रायोजित योजना "सिंचाई गणना" के तहत 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जल निकायों की पहली गणना की है। यह गणना जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में चिह्नित नोडल विभागों के माध्यम से की गई थी।

(ख): जल निकायों की प्रथम गणना की रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य में 1,90,777 जल निकाय हैं।

(ग) : जल निकायों की प्रथम गणना की रिपोर्ट के अनुसार 3920 जल निकायों पर अतिक्रमण किया गया है।

(घ) : जल निकायों पर अतिक्रमण की रिपोर्ट पर कार्रवाई संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है।

हालांकि, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को, स्थानीय आबादी के सामाजिक आर्थिक विकास और सतत जल सुरक्षा के लिए, जल निकायों के महत्व के बारे में जागरूक करने के बारे में संवेदनशील बना रही है। जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए अपेक्षित कदम उठाने की आवश्यकता है, जैसे कि जल निकायों को भूमि अभिलेखों में शामिल करना और उन्हें नगर नियोजन प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना, अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आदि करने के बारे में, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर राज्य सरकारों को पत्र लिखे जा रहे हैं।

*****